

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2013—श्रावण 28, शक 1935

#### आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2013

क्र. एफ. 1-99-2009-1-उनसठ-आयुष.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) राजपत्रित सेवा भरती नियम 1987 को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

#### नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुष विभाग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2013 है.

(ख) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवक्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्त प्राधिकारी" से अभिप्रेत है शासन;

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती हो;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

- (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का समूह, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य नागरिकों के पिछड़े वर्ग.
- (झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुष राजपत्रित सेवा.
- (य) राज्य से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (i) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;
- (ii) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
- (iii) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, तथा उसके पदों का वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी.

सेवा के सदस्यों को वित्त विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत समयमान वेतन की पात्रता होगी.

6. भर्ती का तरीका.—(i) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती द्वारा;
- (ख) अनुसूची (4) के कॉलम (2) में सम्मिलित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसे पद, ऐसी सेवा में जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, मूलरूप से धारण करते हों.

(ii) उपनियम (i) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या एवं अनुसूची दो में दर्शाये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(iii) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, भरती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका अथवा तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(iv) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो तो, शासन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा भर्ती के तरीके से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति :- इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।
8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्त :- चयन किए जाने/परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी 01 जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कॉलम (4) में विहित की गई आयु पूर्ण प्राप्त कर ली हो किन्तु ऐसी अनुसूची तीन के कॉलम (5) में दर्शायी गई आयु पूर्ण न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में भी नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट दी जायेगी :-

(i) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, को उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जा सकेगी। अर्थात् 45 वर्ष से अधिकतम आयु नहीं होना चाहिए यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकरिमक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञात होगी।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग है, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परंतु उसके परिणाम स्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द "छटनी किए गए सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा से मुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण:- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजित होने हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय से पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिये गये हों;

- (ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया है और (क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) भर्ती की शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (iii) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी।
- (iv) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं)
- (v) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।
- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।
- (vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे।
- (viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लगने से घाव हो जाने आदि कारण से विकिर्त्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।
- (ix) म०प्र० सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम-4 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट प्राप्त है, परन्तु सभी प्रवर्गों में सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- (ड.) महिलाओं के लिये तथा विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में उतनी छूट दी जायेगी जितनी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार तत्समय लागू हो।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (झ) मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष की आयु तक होगी।
- (ञ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन होगी, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु उच्चतर आयु सीमा से 4.5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा योग्य माना गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तथापि वह पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें हटा दिया गया हो।
- (ii) विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
- (iii) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र कं०-सी 3-11/12/1/3, दिनांक 3.11.12

(2) शैक्षणिक अर्हता :- उम्मीदवार के पास विहित की गई ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसी

कि अनुसूची तीन में दर्शायी गई हैं, परंतु

- (क) आपवादिक मामलों में आयोग, सरकार की सिफारिशों पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिए पात्र ठहराता हो, और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों के, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, डिग्री प्राप्त की हो आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकेगा।
- (3) फीस :- उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता :-

- (i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा चयन/परीक्षा के लिए निरर्हता के रूप में ठहराया जा सकता है।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दिनांक 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक संतान हों, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिये निरर्ह होगा, परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हो सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा।
- (iv) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा,  
परन्तु जहाँ किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जावेगा।
- (v) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा :- चयन/परीक्षा के हेतु ग्राह्य किए जाने के लिए अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा, और किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश/चयन की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती :-

- (i) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे।
- (ii) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी जो कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे।

- (iii) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश सरकार के तत्समय लागू नियमों में विहित संख्या में रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी।
- (iv) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी हो।
- (v) प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये शासन द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उप नियम (3) के अर्थात् यथा स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवारों के लिये रक्षित किए स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।
- (vi) यदि अनुसूचित जाति जन जाति के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां सरकार के पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगी।
- (vii) शासन द्वारा निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समस्तर (Horizontal) और प्रभागवार (Compotment wise) रहेगी।
- (viii) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा उनके समक्ष साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जायेगा।

12. (1) आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :-

- (i) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से जैसा कि आयोग अवधारित करे अर्ह हों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित न हो, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किये गये हों, अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा तथा सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उस कम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं।

(iii) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, या समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(iv) आयोग द्वारा चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी, जो आयोग की सहमति से छः माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जायेगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

(i) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे।

(ii) समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(iii) उतनी संख्या में रिक्तियां जितनी कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस निमित्त जारी, तत्समय लागू नियमों में विहित हों पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से कमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के ऐसे अभ्यर्थियों के लिये जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों, आरक्षित रखी जायेंगी। (प्रथम श्रेणी के पदों के मामलों में उपर्युक्त आरक्षण संवर्ग के निम्नतम रैंक के लिये अनुज्ञात होगा।)

(iv) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :-

(i) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 01 जनवरी को उतने वर्षों की सेवा जो कि अनुसूची चार के कॉलम (4) में वर्णित है, उन पदों पर जो कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित है, या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो, और उसमें वर्णित शर्तें पूरी कर ली हों तथा जो उप नियम (2) के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों,

परंतु आपाती कमीशन तथा अल्प सेवा कमीशन के सेवामुक्त अधिकारियों की सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से गणना की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1967/एक(3)-67 तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया समझा गया हो।

परंतु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

(ii) यदि पदोन्नति “वरिष्ठता सह उपयुक्तता” के आधार पर की जाए तो चयन-क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः पाँच गुना तक सीमित होगा और यदि पदोन्नति “योग्यता तथा वरिष्ठता” के आधार पर की जाए तो (चयन क्षेत्र) चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः सात गुना तक सीमित होगा।

परंतु इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र को, उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जो समिति द्वारा लिखित में, कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझी जाए।

#### 15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

(i) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों, यह सूची चयन सूची, तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी, उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जाएगी।

(ii) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(iii) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम, अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों में वरिष्ठता क्रम में रखे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण :-** ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो वरिष्ठता का दावा नहीं रहेगा।

(iv) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जायेगा।

(v) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अधिकमित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. **आयोग से परामर्श :-** विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

#### 17. चयन सूची :-

(i) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची चार के कॉलम (2) में दर्शाए गए पदों पर से अनुसूची चार के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की



- (ii) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम(4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनःपरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि मान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

- (i) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हों।

परंतु जहाँ प्रशासकीय अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो वहाँ उस व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जिसका नाम चयन सूची में दिए गए क्रम में ठीक नीचे न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है।

- (ii) ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

19. परिवीक्षा :- सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
20. निर्वचन :- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो यह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
21. शिथिलीकरण :- इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के मामले में जिस पर ये नियम लागू होते हों राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने जो उसे न्याय संगत और उचित प्रतीत होती हो, शक्ति को सीमित या कम करती है।

परंतु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरसन :-** इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**शशि खत्री**, उपसचिव.

(राजपत्रित)

अनुसूची एक (नियम-5)

सं क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपया)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	संचालक / आयुक्त आयुष	01	म. प्र. शासन, आयुष विभाग सेवा में प्रथम श्रेणी	37400-67000 ग्रेड पे 8700	
2	संयुक्त संचालक आयुर्वेद	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 7600	
3	संयुक्त संचालक होम्योपैथी	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 7600	
4	लायसेंसिंग अथारिटी	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 7600	
5	उप संचालक आयुर्वेद/औषधालय अधीक्षक आयुर्वेद/संभागीय आयुष अधिकारी	01/ 01/ 07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
6	उप संचालक यूनानी	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
7	उप संचालक होम्योपैथी/ अधीक्षक चिकित्सालय होम्यो0	01/ 01	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
8	उपसंचालक अतकनीकी	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
9	जिला आयुष अधिकारी / अधीक्षक आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय/ प्राचार्य, शास. महिला आयु.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	50/ 07/ 02	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	10000-325-15200 ब्रह्मस्वरूप
10	अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	10000-325-15200 ब्रह्मस्वरूप
11	विशेषज्ञ आयुर्वेद	32	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
12	इग्न इन्स्पेक्टर	02	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	

स0 क0	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (छव्वां)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
13	अधीक्षक यूनानी फार्मसी / अधीक्षक आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय/अधीक्षक यूनानी महाविद्यालय चिकित्सालय	01/ 01/ 01	म. प्र. शासन, आयुष विभाग सेवा में प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे 6600	10000-325-15200 ब्रह्मस्वरूप
14	वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/ विशेषज्ञ होम्योपैथी	03	-"-	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
15	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी	01	म. प्र. शासन आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
16	सहायक संचालक आयुर्वेद/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर0एम0ओ0(आयुर्वेद)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद)	01/ 1432	-"-	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
17	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/ आर0एम0ओ0 (होम्यो.)/ महिला चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी/ आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)	220	-"-	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
18	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	77	-"-	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
19	वरिष्ठ शोध वैद्य/सहायक अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी/ औषधि निर्माण वैद्य	02/ 01/ 05	-"-	15600-39100 ग्रेड पे 5400	

स0 क0	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (छत्वां)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
20	सांघटीफिक आफिसर बॉटनी (फार्माकोग्नोसी) आयुष इंंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर	01	म. प्र. शासन आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
21	सांघटीफिक आफिसर कोमिस्ट्री (आयुष इंंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर)	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
22	वित्त अधिकारी	01	म0प्र0वित्त एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
23	प्रशासकीय अधिकारी	05	म. प्र. शासन, आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी	9300-34800 ग्रेड पे 4200	6500-10500 (ब्रह्मस्वरूप)
24	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	01	--	9300-34800 ग्रेड पे 4200	6500-10500 (ब्रह्मस्वरूप)
25	सांख्यिकी अधिकारी	01	--	9300-34800 ग्रेड पे 4200	
26	मेड्रन (वरिष्ठ ग्रेड)	09	--	9300-34800 ग्रेड पे 4200	
<b>आयुर्वेद शिक्षक संवर्ग</b>					
27	प्रधानाचार्य, आयुर्वेद	07	म. प्र. शासन आयुष विभाग सेवा में प्रथम श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे 7600	
28	प्राध्यापक (प्रोफेसर) संहिता सिद्धांत	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
29	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रचना शारीर	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
30	प्राध्यापक (प्रोफेसर) क्रिया शारीर	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	

सं क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (छठवां)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
31	प्राध्यापक (प्रोफेसर) द्रव्यगुण	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
32	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
33	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रोग निदान	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
34	प्राध्यापक (प्रोफेसर) स्वस्थवृत्त	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
35	प्राध्यापक (प्रोफेसर) प्रसूति एवं स्त्री रोग	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
36	प्राध्यापक (प्रोफेसर) काय चिकित्सा	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
37	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शल्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
38	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शालाक्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
39	प्राध्यापक (प्रोफेसर) पंचकर्म	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
40	प्राध्यापक (प्रोफेसर) अगादतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	01	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
41	सहप्राध्यापक (रीडर) संहिता सिद्धांत	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
42	सहप्राध्यापक (रीडर) रचना शारीर	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
43	सहप्राध्यापक (रीडर) क्रिया शारीर	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
44	सहप्राध्यापक (रीडर) द्रव्यगुण	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
45	सहप्राध्यापक(रीडर) रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	

स0 क्र0	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (छठवां)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
46	सहप्राध्यापक(रीडर) रोग निदान	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
47	सहप्राध्यापक(रीडर) स्वस्थवृत्त	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
48	सहप्राध्यापक(रीडर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
49	सहप्राध्यापक(रीडर) प्रसूति एवं स्त्री रोग	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
50	सहप्राध्यापक(रीडर) कौमार्य भृत्य	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
51	सहप्राध्यापक(रीडर) काय चिकित्सा	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
52	सहप्राध्यापक(रीडर) शल्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
53	सहप्राध्यापक(रीडर) शालाक्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
54	सहप्राध्यापक(रीडर) पंचकर्म	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 6600	
55	व्याख्याता(लेक्चरर) संहिता सिद्धांत	16	म. प्र. शासन, आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
56	व्याख्याता(लेक्चरर) रचना शारीर	16	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
57	व्याख्याता(लेक्चरर) क्रिया शारीर	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
58	व्याख्याता(लेक्चरर) द्रव्यगुण	09	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	

सं० क्र०	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (छठवां)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
59	व्याख्याता(लेक्चरर) रस शास्त्र एवं भौषज्य कल्पना	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
60	व्याख्याता(लेक्चरर) रोग निदान	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
61	व्याख्याता(लेक्चरर) स्वस्थवृत्त	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
62	व्याख्याता (लेक्चरर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
63	व्याख्याता(लेक्चरर) प्रसूति एवं स्त्री रोग	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
64	व्याख्याता(लेक्चरर) कौमार्य भृत्य	06	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
65	व्याख्याता(लेक्चरर) काय चिकित्सा	15	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
66	व्याख्याता(लेक्चरर) शल्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
67	व्याख्याता(लेक्चरर) शालाक्य तंत्र	07	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
68	व्याख्याता(लेक्चरर) पंचकर्म	08	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
69	व्याख्याता(लेक्चरर) संस्कृत	02	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
70	व्याख्याता(लेक्चरर) विज्ञान	05	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
71	व्याख्याता (लेक्चरर) एलोपैथी	13	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	
72	निर्देशक (एलोपैथी)	06	--	15600-39100 ग्रेड पे 5400	



अनुसूची दो (नियम-6)

क0	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
			4	5	6	7	8
1	संचालक/आयुक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी	म0प्र0 शासन आयुष विभाग सेवा में प्रथम श्रेणी	01	-	-	भारतीय प्रशासनिक सेवा से	-
2	संयुक्त संचालक आयुर्वेद	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-
3	लायसेंसिंग अथारिटी	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-
4	संयुक्त संचालक होम्योपैथी	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-
5	उप संचालक आयुर्वेद/औषधालय अधीक्षक आयुर्वेद/संभागीय अधिकारी आयुर्वेद	--	09		100 प्रतिशत		
6	उप संचालक यूनानी	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-
7	उप संचालक होम्योपैथी/अधीक्षक चिकित्सालय होम्योपैथी	--	02	-	100 प्रतिशत	-	-
8	उपसंचालक अतकनीकी	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-

क्र०	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			रिपणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोर्न्तित द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	जिला आयुष अधिकारी/ अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय / प्राचार्य, शास्त्र. महिला आयु.स्वा.कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	--	59	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
10	विशेषज्ञ आयुर्वेद	--	32	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
11	इग इन्स्पेक्टर	--	02	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	
12	अधीक्षक यूनानी फार्मसी/ अधीक्षक आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय/अधीक्षक यूनानी महाविद्यालय चिकित्सालय	--	03	-	100 प्रतिशत	-	
13	अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी	--	01	-	100 प्रतिशत	-	
14	वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी /विशेषज्ञ होम्योपैथी	--	03	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		
15	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी	म०प्र० शासन आयुष विभाग सेवा में द्वितीयश्रेणी	01	-	100 प्रतिशत		
16	सहायक संचालक आयुर्वेद/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर०एम० ओ० (आयुर्वेद)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद)	--	1432	86 प्रतिशत	14 प्रतिशत		
17	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/ आर०एम०ओ० (होम्यो.) / आर.एस. ओ. (होम्यो.) / महिला चिकित्सा अधिकारी (होम्यो.) / आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)	--	220	95 प्रतिशत	05 प्रतिशत		
18	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	--	77	100 प्रतिशत	-		

क0	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	वरिष्ठ शोध वैद्य/सहायक अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी/ औषधि निर्माण वैद्य	--	07	100 प्रतिशत	-	-	-
20	सांघटीफिक आफिसर, बॉटनी (फार्माकोगोसी) (आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर)	--	01	100 प्रतिशत	-	-	-
21	सांघटीफिक आफिसर, केमिस्ट्री (आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर)	--	01	100 प्रतिशत	-	-	-
22	वित्त अधिकारी	--	01	-	-	100 प्रतिशत	वित्त तथा लेखा सेवा से स्थानांतर द्वारा
23	प्रशासकीय अधिकारी	--	05	-	100 प्रतिशत	-	-
24	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	--	01	-	100 प्रतिशत	-	-
25	सांख्यिकी अधिकारी	--	01	-	-	100 प्रतिशत	म0प्र0योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
26	मेडन (वरिष्ठ ब्रेड)	--	07	-	100 प्रतिशत	-	-
27	प्रधानाचार्य, आयुर्वेद	म0 प्र0 शासन आयुष विभाग सेवा में प्रथम श्रेणी	07	-	100 प्रतिशत	-	-

क0	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>आयुर्वेद शिक्षक संवर्ग</b>							
28	प्राध्यापक (प्रोफेसर) संहिता सिद्धांत/	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
29	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रचना शारीर	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
30	प्राध्यापक (प्रोफेसर) क्रिया शारीर	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
31	प्राध्यापक (प्रोफेसर) द्रव्यगुण	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
32	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रस शास्त्र एवं भौषज्य कल्पना	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
33	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रोग निदान	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
34	प्राध्यापक (प्रोफेसर) स्वस्थवृत्त	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
35	प्राध्यापक (प्रोफेसर) प्रसूति एवं स्त्री रोग	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
36	प्राध्यापक (प्रोफेसर) काय चिकित्सा	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
37	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शल्य तंत्र	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
38	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शालाक्य तंत्र	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
39	प्राध्यापक (प्रोफेसर) पंचकर्म	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
40	सहप्राध्यापक (रीडर) संहिता सिद्धांत	--	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	

क्र०	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण के द्वारा	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	सहप्राध्यापक (रीडर) रचना शारीर	--	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
42	सहप्राध्यापक (रीडर) क्रिया शारीर	--	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
43	सहप्राध्यापक (रीडर) द्रव्यगुण	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
44	सहप्राध्यापक (रीडर) रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
45	सहप्राध्यापक (रीडर) रोग निदान	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
46	सहप्राध्यापक(रीडर) स्वस्थवृत्त	--	08	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
47	सहप्राध्यापक (रीडर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
48	सहप्राध्यापक (रीडर) प्रसूति एवं स्त्री रोग	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
49	सहप्राध्यापक (रीडर) कौमार्य भृत्य	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
50	सहप्राध्यापक (रीडर) काय चिकित्सा	--	09	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
51	सहप्राध्यापक (रीडर) शल्य तंत्र	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
52	सहप्राध्यापक (रीडर) शालाक्य तंत्र	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
53	सहप्राध्यापक (रीडर) पंचकर्म	--	07	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	
54	व्याख्याता समस्त विषय	--	129	100 प्रतिशत	निस्क	-	

## अनुसूची-तीन (नियम-8)

क.	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला आयुष अधिकारी/ प्राचार्य महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र	--	27	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी में सी.सी.आई.एम./सीसीएच द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। (ग) विधिद्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में सी.सी.आई.एम./सीसीएच द्वारा मान्य आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी की स्नातकोत्तर उपाधिधारी को वरीयता।	
2	अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय		22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 वर्ष का अनुभव। (ग) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य आयुर्वेद की स्नातकोत्तर उपाधिधारी को वरीयता।	
3	विशेषज्ञ आयुर्वेद	--	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद के किसी क्लीनिकल विषय में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक एवं यूनानी बोर्ड में पंजीकृत।	

क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
4	इंग इन्स्पेक्टर	--	22	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से एम फार्मा (आयुर्वेद) की सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि अथवा म0प्र0 इरुस एण्ड कॉस्मोटिक्स एक्ट 1940 एवं रूल्स 2045 के नियम 162 में वर्णित विहित शैक्षणिक अर्हता ।	
5	वरिष्ठ चिकित्सक/विशेषज्ञ होम्योपैथी	--	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी के किस्तीनिकल विषय में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) म0प्र0 राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत।	
6	सहायक संचालक आयुर्वेद/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर.एम.ओ. (आयुर्वेद)/महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद)	म. प्र. शासन आयुष विभाग सेवा में द्वितीय श्रेणी	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) म0प्र0 राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक/यूनानी बोर्ड में पंजीकृत। (ग) अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयुष को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इन्टर्शिप प्रमाण-पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।	
7	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/महिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी /आर.एम.ओ. (होम्योपैथी)/आर.एस.ओ. (होम्योपैथी)	--	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) म0प्र0 राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत। (ग) उपरोक्त कंडिका 6 (ग) अनुसार	
8	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	--	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि। (ख) म0प्र0 राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद यूनानी बोर्ड में पंजीकृत। (ग) उपरोक्त कंडिका 6 (ग) अनुसार	

क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
9	वरिष्ठ शोध वैद्य/सहायक अधीक्षक आयुर्वेद फार्मोसी / औषधि निर्माण वैद्य	-"-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना विज्ञान में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) म०प्र० राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद यूनानी बोर्ड में पंजीकृत।	
10	सांघटीफिक आफिसर (बॉटनी फार्माकोगनोसी) (आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर)	-"-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्माकोगनोसी विषय सहित स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एम.फार्मा. की उपाधि। (ख) संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि को वरीयता।	
11	सांघटीफिक आफिसर (केमिस्ट्री) (आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर)	-"-	22	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विषय सहित स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) संबंधित विषय में पी.एच.डी. उपाधि को वरीयता।	

**नोट :-**

- 1- सभी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों का स्वशासीकरण होने के कारण सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती स्वशासी "मध्य प्रदेश शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भर्ती नियम 2010" के अनुसार होगी, अतः शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षकीय संवर्ग के सीधी भर्ती के पद अनुसूची दो एवं तीन में सम्मिलित नहीं हैं।
- 2- सभी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों का स्वशासीकरण होने के कारण पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर शासकीय सेवकों की पदोन्नति इस नियम से, तथा स्वशासी सेवा के सेवकों की पदोन्नति "स्वशासी शासकीय आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सेवा (शिक्षकीय संवर्ग) भर्ती नियम 2010" के अनुसार होगी, ।



अनुसूची चार (नियम-13 तथा 14)

क्र०	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	उप संचालक आयुर्वेद/ औषधालय अधीक्षक आयुर्वेद/ संभागीय आयुष अधिकारी	3 संयुक्त संचालक आयुर्वेद / अनुज्ञापन प्राधिकारी भा.चि.प.	4 03 वर्ष	5 1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष/सदस्य 2- प्रमुख सचिव/सचिव आयुष 3- संचालक, भा.चि.प. होम्यो.
2	उप संचालक होम्योपैथी	संयुक्त संचालक होम्योपैथी	03 वर्ष	तदैव
3	जिला आयुष अधिकारी/ अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र/अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी/विशेषज्ञ आयुर्वेद/ इग इन्स्पेक्टर	उप संचालक आयुर्वेद/ औषधालय अधीक्षक/ संभागीय आयुष अधिकारी	05 वर्ष	तदैव
4	अधीक्षक यूनानी फार्मसी/ अधीक्षक आयुर्वेद/यूनानी चिकित्सालय/अधीक्षक यूनानी महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय	उप संचालक (यूनानी चिकित्सा पद्धति)	05 वर्ष	तदैव
5	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी/ वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/ विशेषज्ञ होम्योपैथी	उप संचालक होम्योपैथी/अधीक्षक होम्योपैथी चिकित्सालय	05 वर्ष	तदैव

क0	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
6	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/ आर0एम0ओ0(होम्यो.)/महिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी चिकित्सालय/वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/विशेषज्ञ होम्योपैथी	सहायक अधीक्षक होम्योपैथी पद के लिये 05 वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ चिकित्सक होम्योपैथी/ विशेषज्ञ होम्योपैथी पद के लिये 05 वर्ष के अनुभव के साथ क्लीनिकल विषय में सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि।	तदैव
7	प्रशासकीय अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी	उप संवालक अतकनीकी	05 वर्ष	तदैव
8	कार्यालय अधीक्षक / मुख्य अंकेक्षक	प्रशासकीय अधिकारी	05 वर्ष	तदैव
9	नर्सिंग सिस्टर / मेडन (कनिष्ठ ग्रेड)	मेडन (वरिष्ठ ग्रेड)	नर्सिंग सिस्टर पद का 07 वर्ष का अनुभव अथवा मेडन (कनिष्ठ ग्रेड) पद का 02 वर्ष का अनुभव	तदैव

क0	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
10	सहायक संचालक आयुर्वेद/ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर0एम0ओ0(आयुर्वेद)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सक अधिकारी / आयुष चिकित्सक (आयुर्वेद)	जिला आयुष अधिकारी/अधीक्षक आयुर्वेद चिकित्सालय/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र/विशेषज्ञ आयुर्वेद/ड्रग इन्स्पेक्टर	05 वर्ष। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ आयुर्वेद पद के लिये क्लीनिकल विषय में सी.सी. आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि एवं ड्रग इन्स्पेक्टर पद के लिये काय चिकित्सा, द्रव्यगुण या रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विषय में सी. सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ड्रग एण्ड कास्मेटिक एक्ट 1940 एवं रूल्स 1945 के नियम 162 अनुसार विहित शैक्षणिक अर्हता	तदैव
11	वरिष्ठ शोध वैद्य/सहायक अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी/औषधि निर्माण वैद्य	अधीक्षक आयुर्वेद फार्मसी	05 वर्ष	तदैव
12	यूनानी चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक यूनानी फार्मसी/ अधीक्षक यूनानीचिकित्सालय/ अधीक्षक यूनानी महाविद्यालय चिकित्सालय	05 वर्ष	तदैव
13	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ रिलीविंग वैद्य (आयुर्वेद) / अनुसंधान पुस्तकालयाध्यक्ष (आयुर्वेद)	सहायक संचालक आयुर्वेद/आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ आर0एम0ओ0 (आयुर्वेद)/ महिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	05 वर्ष	तदैव

क्र०	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5	
14	सहायक चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आर०एम० ओ० (होम्यो.)/माहिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आर०एम० ओ० (होम्यो.)/माहिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी/आयुष चिकित्सक (होम्योपैथी)	05 वर्ष	तदैव
15	शीघ्रलेखक	शीघ्रलेखक	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	05 वर्ष	तदैव
<b>शिक्षक संवर्ग</b>					
16	प्राध्यापक (प्रोफेसर) (आयुर्वेद)	प्राध्यापक (प्रोफेसर) (आयुर्वेद)	प्रधानाचार्य (आयुर्वेद)	सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित अनुभव एवं अर्हतायें।	तदैव
17	सहप्राध्यापक (रीडर) संहिता सिद्धांत	संहिता	प्राध्यापक (प्रोफेसर) संहिता सिद्धांत/ संस्कृत	तदैव	तदैव
18	सहप्राध्यापक (रीडर) रचना शारीर	रचना	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रचना शारीर	तदैव	तदैव
19	सहप्राध्यापक (रीडर) क्रिया शारीर	क्रिया	प्राध्यापक (प्रोफेसर) क्रिया शारीर	तदैव	तदैव
20	सहप्राध्यापक (रीडर) द्रव्यगुण विज्ञान	द्रव्यगुण	प्राध्यापक (प्रोफेसर) द्रव्यगुण विज्ञान	तदैव	तदैव
21	सहप्राध्यापक (रीडर) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	रस	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	तदैव	तदैव
22	सहप्राध्यापक (रीडर) रोग निदान	रोग	प्राध्यापक (प्रोफेसर) रोग निदान	तदैव	तदैव
23	सहप्राध्यापक (रीडर) स्वस्थवृत्त	स्वस्थवृत्त	प्राध्यापक (प्रोफेसर) स्वस्थवृत्त	तदैव	तदैव

क0	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
24	सहप्राध्यापक (रीडर) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	प्राध्यापक (प्रोफेसर) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	तदैव	तदैव
25	सहप्राध्यापक (रीडर) काय चिकित्सा	प्राध्यापक (प्रोफेसर) काय चिकित्सा	तदैव	तदैव
26	सहप्राध्यापक (रीडर) शल्य तंत्र	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शल्य तंत्र	तदैव	तदैव
27	सहप्राध्यापक (रीडर) शालाक्य तंत्र	प्राध्यापक (प्रोफेसर) शालाक्य तंत्र	तदैव	तदैव
28	सहप्राध्यापक (रीडर) पंचकर्म	प्राध्यापक (प्रोफेसर) पंचकर्म	तदैव	तदैव
29	व्याख्याता (लेक्चरर) संस्कृत/संहिता सिद्धांत	सहप्राध्यापक (रीडर) संस्कृत/संहिता सिद्धांत	तदैव	तदैव
30	व्याख्याता (लेक्चरर) रचना शारीर	सहप्राध्यापक (रीडर) रचना शारीर	तदैव	तदैव
31	व्याख्याता (लेक्चरर) क्रिया शारीर	सहप्राध्यापक (रीडर) क्रिया शारीर	तदैव	तदैव
32	व्याख्याता (लेक्चरर) द्रव्यगुण विज्ञान	सहप्राध्यापक (रीडर) द्रव्यगुण विज्ञान	तदैव	तदैव
33	व्याख्याता (लेक्चरर) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	सहप्राध्यापक (रीडर) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	तदैव	तदैव
34	व्याख्याता (लेक्चरर) रोग निदान	सहप्राध्यापक (रीडर) रोग निदान	तदैव	तदैव

क्र0	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दिये गये पद पर पदोन्नति के लिये कालम (2) के पद पर की गई न्यूनतम सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
1	2	3	4	5
35	व्याख्याता (लेक्चरर) स्वस्थवृत्त	सहप्राध्यापक (रीडर) स्वस्थवृत्त	तदैव	तदैव
36	व्याख्याता (लेक्चरर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	सहप्राध्यापक (रीडर) अगदतंत्र एवं विधि आयुर्वेद	तदैव	तदैव
37	व्याख्याता (लेक्चरर) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	सहप्राध्यापक (रीडर) प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	तदैव	तदैव
38	व्याख्याता (लेक्चरर) कौमार्य भृत्य	सहप्राध्यापक (रीडर) कौमार्य भृत्य	तदैव	तदैव
39	व्याख्याता (लेक्चरर) काय चिकित्सा	सहप्राध्यापक (रीडर) काय चिकित्सा	तदैव	तदैव
40	व्याख्याता (लेक्चरर) शल्य तंत्र	सहप्राध्यापक (रीडर) शल्य तंत्र	तदैव	तदैव
41	व्याख्याता (लेक्चरर) शालाक्य तंत्र	सहप्राध्यापक (रीडर) शालाक्य तंत्र	तदैव	तदैव
42	व्याख्याता (लेक्चरर) पंचकर्म	सहप्राध्यापक (रीडर) पंचकर्म	तदैव	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
शशि खत्री, उपसचिव

Bhopal, dated 19th August 2013

No. F-01-99-2009-LIX-Ayush.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, superceding the Public Health (Indian System of Medicine & Homoeopathy) Gazzeted service recruitment rules 1987 the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Madhya Pradesh Ayush Department (Gazetted) Services, namely :-

### RULES

**1. Short title and Commencement:-**

- (a) These rules may be called the Madhya Pradesh Ayush Department (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013.
- (b) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

**2. Definitions: -** In these rules, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government;
- (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (c) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (d) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of these Rules;
- (e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (f) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (g) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community, or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F-85-XXV-4-84, dated the 26<sup>th</sup> December, 1984 as amended from time to time.

- (i) "Service" means the Madhya Pradesh Ayush Department (Gazetted) Service.
- (j) "State" means the state of Madhya Pradesh

3. **Scope and Application :-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service: -** The service shall consist of the following persons, namely;

- (i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
- (ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and;
- (iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc. :-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I;

Provided that the Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

Members of the service shall be entitled to the time scale pay as per the provision of the Finance Department of the Government.

6. **Methods of Recruitment,**

- (i) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely,
  - (a) By direct recruitment through competitive examination / selection;
  - (b) By promotion of the member of the service included in column (2) of Schedule IV;



- (c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.
- (ii) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (i) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II or the number of duty posts, as specified in Schedule-I
- (iii) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purposes of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
- (iv) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the Department of General Administration adopt such methods of recruitment of the service other than those specified in said sub-rule, as it may prescribe by order issued in this behalf.
7. **Appointment to the service:** - All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and such appointment shall be made only after selection by any one of the methods of recruitment specified in the rule 6, otherwise not.
8. **Conditions of eligibility for direct recruitment:** - In order to be eligible to be selected / to appear in the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
- (1) **Age:-**
- (a) He must have attained the age prescribed in column (4) of Schedule III and not attained the age prescribed in column (5) of schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the Selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to the maximum of five years in case of the candidate belonging to a Schedule Caste or Schedule Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) The upper age limit will be relaxable up to a maximum of five years in respect of a candidate, who is holding a post permanently or temporarily and applying for another post. i.e. the maximum age should not be above 45 years. This concession shall also be admissible to work charged employees, contingency paid employees and persons employed in the project implementing committees.

(ii) A candidate, who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents the total of more than one spell of service provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation:-** The term "retrenched Government Servant" denoted a person who was in temporary Government Service of this State or in any of the constituent units for continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment, not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A Candidate, who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of complete defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation :-** The term "Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to general reduction in the establishment or declared surplus, not more than maximum period of three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :-

- (i) Ex- Serviceman released under mustering out concessions.
  - (ii) Ex- Serviceman enrolled for the second time and discharged on:-
    - (a) Completion of short term engagement.
    - (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
  - (iii) Ex-Personnel of Madras Civil Unit.
  - (iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers.)
  - (v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
  - (vi) Ex-Serviceman invalidated out of service.
  - (vii) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
  - (viii) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.
  - (ix) As per rule-4 of M.P. civil services - 1997 (special provision for recruitment of females) there is relaxation of upto 10 years in the upper age limit. But for the direct recruitment of female candidates for all categories, the upper age limit shall be 45 years.
- (e) The upper age limit shall be relaxable up to the maximum limit of such period as prescribed by the General Administration Department and is applicable for the time being in respect of widows, divorced or other female candidates.
  - (f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of green card holder candidates under family welfare programme.

- (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded couples of inter-caste marriage incentive scheme under the Tribal schedules castes and Backward classes welfare department.
- (h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Vikram Award holder candidates.
- (i) The upper age limit shall be 45 years in respect of employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (j) The upper age limit will be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-Commissioned Officers of the Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 45 years.

**N.B.--**

- (i) Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in rules 8(c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the services or posts after submitting the applications.
- (ii) Departmental candidates must give prior information to the appointing authority to appear for selection.
- (iii) Including all the relaxations in any condition in all the categories, the upper age limit should not exceed 45 years. Upper age limit will be counted as per circular no. C 3-11/12/1/3, dated 3.11.12 and 20.11.12

- (ii) **Educational Qualification:** -He must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in the schedule –III

**Provided that:-**

- (a) in exceptional cases the commission may on the recommendation of the Government, treat candidate as qualified who though not possessing any of the qualification prescribed in this clause has passed examinations conducted by other institutions by such a standard due to which the opinion of the commission considers the candidate as eligible for selection.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities such universities being not specifically recognized by Government, may also be considered for admission to the examination at the discretion of the Commission.

(iii) **Fees:** - He must pay the fees prescribed by the Commission.

**9. Disqualifications:-**

(i) An attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection/admission to the examination.

(ii) No candidate who has got married before attaining the minimum age as fixed by law, shall be eligible for appointment on any post of service

(iii) No candidate who has more than two children after 26<sup>th</sup> January 2001, shall be eligible for appointment on any post of service, provided that any candidate who has one child and has got the next birth of two or more children together through a delivery on or after 26<sup>th</sup> January 2001, shall not be held in eligible on this ground.

(iv) No candidate who has been held victim of any crime against women shall be eligible for appointment on any post of service.

But if there is any such case running against any of the candidates in the court, then in such case his/her appointment will be kept on pending till the final decision of court in context to his/her criminal case.

(v) No male candidate who has more than one wives alive, and no female candidate who has married to such person who has already a wife alive shall be eligible for appointment on any post of service.

**10. Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final:-**  
The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/admission to the examination shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall not be interviewed/admitted to the examination by the Commission.

**11. Direct Recruitment by competitive examination:-**

- (i) A competitive examination for recruitment to the service shall be held by the commission at such intervals as the Government may, in consultation with the commission from time to time determine.
- (ii) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issued in consultation with the Commission.
- (iii) Vacancies shall be kept reserved out of the vacancies available for direct recruitment in such numbers as prescribed by the General Administration Department applicable for the time being for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes, Disabled, Ex-service man and Female candidates.
- (iv) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Schedule Castes, Schedule Tribes and the Other Backward classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (v) Keeping in view maintaining the competence of the administration, the candidates of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes selected by the Government may be appointed on the vacancies reserved under sub-rule (3) for Schedule Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes as the case may be.
- (vi) If eligible candidates of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes are not available in sufficient number, the vacancies remaining in such cases, shall not be filled by other candidate without the permission of the State Government and shall not be unreserved for the candidate through any means other than for whom the reservation has been made for the post or posts.

- (vii) Reservation for the physically handicapped candidates will be done horizontal and compartment wise by the Government.
- (viii) Selection of candidates for the services will be done after interviews conducted by the Commission.

**12. (i) List of candidates recommended by the Commission:-**

- (i) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who though not qualified by the standard, are by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (ii) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (iii) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry as considered necessary that the candidate is eligible in all respects for appointment to the service.
- (iv) List of selected candidates released by the Commission will be valid for the period of one year from the date of release. The date may be extended for 6 more months after taking consent from the Commission.

**13. Appointment by promotion:-**

- (i) There be constituted a committee consisting of the members mentioned in the Schedule-IV for making selection for promotion of eligible candidates.
- (ii) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

- (iii) Vacancies shall be kept reserved out of the vacancies available for promotion in such numbers as prescribed by the General Administration Department applicable for the time being for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes. who are eligible for promotion under subrule of rule 14. (In case of class one posts above reservation is permissible for lowest rank in the category).
- (iv) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government General Administration Department, from time to time.

**14. Conditions of eligibility for promotion:-**

- (i) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1<sup>st</sup> day of January of that year had completed such number of years of service as mentioned in column (4) of schedule. IV- in the post mentioned in column (2) of the said schedule or in any other post/posts declared equivalent thereto by the Government and fulfill other conditions mentioned therein and are within the zone of consideration as per sub rule (2):

**Provided** that the services of the released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have appointed in the service in accordance with the General Administration Department memo No.2266/1967/1(3)/61, dated the 21st October 1967.

**Provided** further that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of his completing the prescribed years of service.

- (ii) The field of selection shall ordinarily be limited to five times the number of officers to be included in the select list if the promotion is to be made on the basis of "seniority subject to fitness" and seven times of the officers to be included in the list if the promotion is to be made on the basis of "merit-cum-seniority"



**Provided** that if the required numbers of suitable officers are not available in the field so determine the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

**15. Preparation of list of suitable Officers:-**

- (i) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (ii) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.
- (iii) The names of the candidates included in the list shall be arranged in order of seniority in the posts as specified in column (2) of schedule-IV at the time of preparation of each select list.

**Explanation: -** A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (iv) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (v) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supercession.

**16. Consultation with the commission: -** The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the commission under sub-clause (b) of

clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

**17. Selection list:-**

- (i) The list as finally approved by the Government shall be the selection list for promotion of the members of service in the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the posts shown in column (3) of Schedule-IV.
- (ii) The select list ordinarily is in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties in the part of any persons included in the selection list a special review of the selection list may be made at the instance of the Government in consultation with Commission may if it thinks fit, remove the name of such person from the selection list.

**18. Appointment to the service from the selection list:-**

- (i) Appointment of the officers included in the selection list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

**Provided** that, where administrative exigencies so required a persons whose name is not included in the selection list or who is not next in order in the selection list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

- (ii) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before appointment of a person whose name is included in the selection list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the selection list and the date of the proposed appointment, there occurs any deteriorations in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**19. Probation:-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation:** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.
21. **Relaxation:** - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

**Provided** that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. **Savings:** - Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with orders issued by the State Government from time to time in this regard.
23. **Repeal:** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.

## Schedule - I (See Rule - 5)

S.N.	Name of the Posts induced in service	No of Post	Classification	Pay Scale (sixth commission)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Director / Commissioner AYUSH	01	Govt. of M. P. AYUSH Department Class-I Service	37400-67000+Grade Pay 8700	
2	Joint Director, Ayurved	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 7600	
3	Joint Director, Homoeopathy	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 7600	
4	Licensing Authority	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 7600	
5	Deputy Director Ayurved / Superintendent Ayurvedic Dispensaries/ Divisional AYUSH Officer	01/ 01/ 07/	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
6	Deputy Director, Unani	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
7	Deputy Director, Homoeopathy / Superintendent Homoeopathy Hospital	01/ 01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
8	Deputy Director, Non Technical	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
9	District AYUSH Officer / Superintendent Ayurvedic College / Principal Govt. Female Ayurved Health worker Training Center	50/ 07/	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	10000-325-15200 (Brahmaswaroop)
10	Superintendent Ayurved Pharmacy	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	10000-325-15200 (Brahmaswaroop)
11	Specialist Ayurved	32	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
12	Drug Inspector	02	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
13	Superintendent Unani Pharmacy, Superintendent Ayurved & Unani Hospital, Superintendent Unani College Hospital	01/ 01/ 01/	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	10000-325-15200 (Brahmaswaroop)
14	Senior Medical Officer Homeopathy/Specialist Homoeopathy	03	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
15	Asst. Superintendent Homoeopathy	01	Govt. of M. P. AYUSH Department Class-II Service	15600-39100+ Grade Pay 5400	
16	Asst. Director, Ayurveda /Ayurvedic Medical Officer / R. M. O. (Ayurveda) / Female Ayurveda Medical Officer/AYUSH Doctor (Ayurveda)	01 1432	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	
17	Homoeopathic Medical Officer / R. M. O. (Homoeo) / Female Homoeopathic Medical Officer AYUSH Doctor (Homoeopathy)	220	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	

S.N.	Name of the Posts induced in service	No of Post	Classification	Gazeted Rule pay Scale	Remark
1	2	3	4	5	
18	Unani Medical Officer	77	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	
19	Senior Research Vaidya / Asst. Superintendent Ayurveda Pharmacy / Aushadhi Nirman Vaidya	02 01 05	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	
20	Scientific Officer Botany (Pharmacognosy) (AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior)	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	
21	Scientific Officer Chemistry (AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior)	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400	
22	Finance Officer	01	Deputation from M.P. Finance & Accounts Service	15600-39100+ Grade Pay 5400	
23	Administrative Officer	05	Govt. of M. P. AYUSH Department Class-II Service	9300-34800+ Grade Pay 4200	6500-10500 (Brahmaswaroop)
24	Senior Stenographer	01	"do"	9300-34800+ Grade Pay 4200	6500-10500 (Brahmaswaroop)
25	Statistical Officer	01	"do"	9300-34800+ Grade Pay 4200	
26	Matron (Senior Grade)	09	"do"	9300-34800+ Grade Pay 4200	
	<b>Teaching Staff Ayurved</b>				
27	Principal, Ayurved	07	Govt. of M. P. AYUSH Department Class-I Service	15600-39100+ Grade Pay 7600	
28	Professor Samhita Siddhanta	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
29	Professor Rachna Sharir	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
30	Professor Kriya Sharir	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
31	Professor Dravyaguna Vigyan	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
32	Professor Ras Shastra & Bhashajya Kalpana	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
33	Professor Rog Nidan	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
34	Professor Swasthavritta	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
35	Professor Prasuti Tantra & Stri Roga	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
36	Professor Kaya Chikitsa	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
37	Professor Shalya Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
38	Professor Shalaky Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
39	Professor Panchakarma	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	
40	Professor Agadtantra & Vidhi Ayurved	01	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600	

S.N.	Name of the Posts induced in service	No of Post	Classification	Gazeted Rule pay Scale
1	2	3	4	5
41	Reader Samhita Siddhanta	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
42	Reader Rachna Sharir	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
43	Reader Kriya Sharir	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
44	Reader Dravya Guna	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
45	Reader Ras Shastra & Bhesajy Kalpana	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
46	Reader Rog Nidaan	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
47	Reader Swasthavritta	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
48	Reader Aagad Tantra & Vidhi Ayurved	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
49	Reader Prasuti Tantra & Stri Rog	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
50	Reader Koumar -bhritya	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
51	Reader Kaya Chikitsa	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
52	Reader Shalya Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
53	Reader Shalakya Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
54	Reader Panchakarma	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 6600
55	Lecturer Samhita Siddhant	16	Govt. of M. P. AYUSH Department Class-II Service	15600-39100+ Grade Pay 5400
56	Lecturer Rachna Sharir	16	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
57	Lecturer Kriya Shaarir	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
58	Lecturer Dravyagun	09	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
59	Lecturer Ras Shastra & Bhaishajya Kalpna	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
60	Lecturer Rog Nidaan	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
61	Lecturer Swasthavritta	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
62	Lecturer Aagad Tantra & Vidhi Ayurved	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
63	Lecturer Prashuti Tantra & Stri Rog	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
64	Lecturer Koumar Bhritya	06	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
65	Lecturer Kaaya Chikitsa	15	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
66	Lecturer Shalya Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
67	Lecturer Shalakya Tantra	07	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
68	Lecturer Panchkarm	08	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
69	Lecturer Sanskrit	02	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
70	Lecturer Science	05	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
71	Lecturer Allopathy	13	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400
72	Demonstrator Allopathy	06	"do"	15600-39100+ Grade Pay 5400

**Schedule -II  
(See Rule -6)**

S.N.	Name Of Post	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage or Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct recruitment	By Promotion	By Transfer of Persons from Other Services	
1	2 Director / Commissioner AYUSH	3 Govt. of M.P. AYUSH Department Class-I Service	4 01	5 --	6 --	7 From Indian Administrative Service	8 8
2	Joint Director Ayurved	"do"	01	--	100%	--	
3	Licensing Authority	"do"	01	--	100%	--	
4	Joint Director Homoeopathy	"do"	01	--	100%	--	
5	Deputy Director, Ayurved/Superintendent Ayurvedic Dispensaries/Divisional AYUSH Officer	"do"	09	--	100%	--	
6	Deputy Director, Unani	"do"	01	--	100%	--	
7	Deputy Director, Homoeopathy/Superintendent Homoeopathy Hospital	Class-I	02	--	100%	--	
8	Deputy Director Non Technical	"do"	01	--	100%	--	
9	District AYUSH Officer/Superintendent Ayurvedic Hospital/ Principal, Govt. Female Ayurved Health Worker Training Center	"do"	59	25%	75%	--	
10	Specialist Ayurved	"do"	32	25%	75%	--	

S.N.	Name Of Post	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage or Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct recruitment	By Promotion	By Transfer of Persons from Other Services	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Drug Inspector	"do"	02	50%	50%	--	
12	Superintendent Unani Pharmacy, Superintendent Ayurveda & Unani Hospital, Superintendent Unani college Hospital	"do"	03	--	100%	--	
13	Superintendent Ayurved Pharmacy	"do"	01	--	100%	--	
14	Senior Medical Officer Homeopathy / Specialist Homeopathy	"do"	03	25%	75%	--	
15	Asst. Superintendent Homeopathy	MP Govt. AYUSH Dept. Class-II Services	01	--	100%	--	
16	Asst. Director, Ayurveda/Ayurvedic Medical Officer / R. M. O. (Ayurveda) / Female Ayurveda Medical Officer/ AYUSH Doctor (Ayurveda)	"do"	1432	86%	14%	--	
17	Homeopathic Medical Officer / R. M. O. (Homoeo)/RSO (Homoeo) / Female Homeopathic Medical Officer/ AYUSH Doctor (Homeopathy)	"do"	220	95%	5%	--	



S.N.	Name Of Post	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage or Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct recruitment	By Promotion	By Transfer of Persons from Other Services	
18	Unani Medical Officer	"do"	77	100%	- -	- -	- -
19	Senior Research Vaidya / Asst. Superintendent Ayurveda Pharmacy / Aushdhi Nirman Vaidya	"do"	07	100%	- -	- -	- -
20	Scientific Officer, Botany (Pharmacognosy) (AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior)	"do"	01	100%	- -	- -	- -
21	Scientific Officer Chemistry, (AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior)	"do"	01	100%	- -	- -	- -
22	Finance Officer	"do"	01	- -	- -	100%	By transfer from Finance & Account Service
23	Administrative Officer	"do"	05	- -	100%	- -	- -
24	Senior Stenographer	"do"	01	- -	100%	- -	- -
25	Statistical Officer	"do"	01	- -	- -	100%	By transfer from MP Planning & Statistics Dept.
26	Matron (Senior Grade)	"do"	07	- -	100%	- -	- -
27	Teaching Staff Ayurveda Principal, Ayurved	Govt of MP Class-I Service	07	- -	100%	- -	- -
28	Professor Sanmhita Siddhanta	"do"	08	25%	75%	- -	- -
29	Professor Rachna Sharir	"do"	08	25%	75%	- -	- -
30	Professor Kriya Sharir	"do"	07	25%	75%	- -	- -
31	Professor Dravyaguna	"do"	08	25%	75%	- -	- -

S.N.	Name Of Post	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage or Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct recruitment	By Promotion	By Transfer of Persons from Other Services	
32	Professor Ras Shaastra & Bheshajy Kalpana	"do"	07	25%	75%	--	--
33	Professor Rog Nidaan	"do"	07	25%	75%	--	--
34	Professor Swastha vritta	"do"	07	25%	75%	--	--
35	Professor Prasuti Tantra & Stri Roga	"do"	07	25%	75%	--	--
36	Professor Kaya Chikitsa	"do"	08	25%	75%	--	--
37	Professor Shalya Tantra	"do"	07	25%	75%	--	--
38	Professor Shalakyta Tantra	"do"	07	25%	75%	--	--
39	Professor Panchakarma	"do"	07	25%	75%	--	--
40	Reader Samhita Siddhanta	"do"	09	25%	75%	--	--
41	Reader Rachna Sharir	"do"	09	25%	75%	--	--
42	Reader Kriya Sharir	"do"	08	25%	75%	--	--
43	Reader Dravyaguna Vigyan	"do"	08	25%	75%	--	--
44	Reader Ras Shaastra & Bhaishajya Kalpana	"do"	07	25%	75%	--	--
45	Reader Rog Nidaan	"do"	08	25%	75%	--	--
46	Reader Swasthvritta	"do"	08	25%	75%	--	--
47	Reader Aagad Tantra & Vidhi Ayurved	"do"	07	25%	75%	--	--
48	Reader Prasuti Tantra & Stri Rog	"do"	07	25%	75%	--	--
49	Reader Komarybhratya	"do"	07	25%	75%	--	--
50	Reader Kaya Chikitsa	"do"	09	25%	75%	--	--
51	Reader Shalya Tantra	"do"	07	25%	75%	--	--
52	Reader Shalakyta Tantra	"do"	07	25%	75%	--	--
53	Reader Panchakarma	"do"	07	25%	75%	--	--
54	Lecturer All Subjects	"do"	129	100%	--	--	--

**Schedule -III  
(See Rule -8 )**

S.N.	Name of the post	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification and experience	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	District AYUSH Officer / Principal, Govt. Female Ayurved Health Worker Training Center	Govt. of M. P. AYUSH Department Class- I Service	22	40	(a) Graduation degree in Ayurved/Unani/Homoeopathy recognized by C.C.I.M. /CCH from an university established by law. (b) 5 years experience as Ayurved/Unani/Homoeopathy Medical Officer. (c) Preference to Post graduate degree holder of Ayurved/Unani/Homoeopathy from an university established by law and recognized by C.C.I.M./ CCH	
2	Superintendent Ayurvedic Hospital	"do"	22	40	(a) Graduation degree in Ayurved recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) 5 years experience as Ayurved Medical Officer. (c) Preference to Post graduate degree holder of Ayurved from an university established by law and recognized by C.C.I.M.	
3	Specialist Ayurved	"do"	22	40	(a) Post graduate degree in clinical subject of Ayurved recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in MP State Ayurvedic board established by law.	

S. N.	Name of the post	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification and experience	Remark
1	2	3	4	5	6	7
4	Drug Inspector	"do"	22	40	Post Graduate degree of M.Pharma. (Ayurved) recognized by C.C.I.M., from an university established by law. or Essential qualification as per M.P. Drugs & Cosmetics Act 1940 and prscribe qualification in rule 162 of rules 1945	
5	Senior Medical Officer / Specialist Homeopathy	"do"	22	40	(a) Post Graduate degree in clinical subject of Homeopathy recognized by C.C.H. from an university established by law. (b) Registered in MP State Homeopathy Council established by law.	
6	Asst. Director Ayurved /Ayurvedic Medical Officer / (R.M.O.) Ayurved / Female Ayurveda Medical Officer / AYUSH Doctor Ayurved	Govt. of M. P. AYUSH Department Class- II Service	22	40	(a) Graduate degree in Ayurved recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in MP State Ayurved board established by law. (c) The applicant who entered in last year of examination can put his/her application but he/she should submit the minimum qualification certificates including internship certificate must at the time of interview.	
7	Homeopathic Medical Officer/ Female Homeopathic Medical Officer/ R.M.O. (Homeo) /R.S.O. (Homeo) / AYUSH Doctor (Homeo)	"do"	22	40	(a) Graduate degree recognized by C.C.H. from an university established by law. (b) Registered in MP State Homeopathy Council established by law. (c) As per clause 6 (c).	
8	Unani Medical Officer	"do"	22	40	(a) Graduate degree in Unani System of Medicine recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in MP State Ayurved & Unani board established by law. (c) As per clause 6 (c).	

S.N.	Name of the post	Name of the Service	Minimum age limit	Maximum age limit	Education qualification and experience	Remark
1	2	3	4	5	6	7
9	Senior Research Vaidya / Asst. Superintendent - Ayurveda Pharmacy / Aushdhi Nirman Vaidya	Govt. of M. P. AYUSH Department Class- II Service	22	40	(a) Post graduate degree in Rashtra & Bhesaj Kalpna recognized by C.C.I.M. from an university established by law. (b) Registered in MP State Ayurved & Unani board established by law.	
10	Scientific Officer (Botany Pharmacognosy) AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior	"do"	22	40	(a) Post Graduate including subject of pharmacognosy or M.Pharma from recognized university established by law. (b) Preference to Ph.D degree holder in concerned subject	
11	Scientific Officer, Chemistry (AYUSH Drug Testing Laboratory Gwalior)	"do"	22	40	(a) Post Graduate including subject of pharmaceutical Chemistry subject. from an university established by law. (b) Preference to Ph.D degree holder in concerned subject.	

**Note :- 1-** All the Government Ayurved Colleges have become Autonomous, and recruitment on the posts of direct recruitment quota is to be done according to the "Madhya Pradesh Government Ayurved, Homeopathy, Unani College and Hospital services (Teaching Cadre) recruitment rules 2010", hence the posts for direct recruitment in teaching cadre of Government (Autonomous) Ayurvedic Colleges are not included in the above schedule-3 & 2.

**2-** All the Government Ayurved Colleges have become Autonomous, hence recruitment on the posts of promotion quota is to be done according to this rule in cases of Government Employees only, and according to "Madhya Pradesh Government Ayurved, Homeopathy, Unani Collage and Hospital services (Teaching Cadre) recruitment rules 2010" in cases of Employees of Autonomous services .

**Schedule -IV  
(See Rule - 13 &14)**

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Deputy Director Ayurved / Superintendent Ayurved Dispensary / Divisional Officer AYUSH	Joint Director, Ayurved / Licensing Authority I.S.M.	03 Year	1- M.P. P.S.C. Chairman / Member Chairman 2- Principal Secretary / Secretary AYUSH - Member 3- Director, AYUSH - Member
2	Deputy Director Homoeopathy	Joint Director, Homoeopathy	03 Year	"do"
3	District AYUSH Officer /Superintendent Ayurvedic Hospital/ Principal, Govt. Female Ayurved Health Worker Training Center /Superintendent Ayurved Pharmacy / Specialist Ayurved/ Drug Inspector	Deputy Director, Ayurved / Superintendent Ayurvedic Dispensary / Divisional AYUSH Officer	05 Year	"do"
4	Superintendent Unani Pharmacy/Superintendent Ayurved & Unani Hospital / Superintendent Unani College associated Hospital	Deputy Director, Unani	05 Year	"do"
5	Asst. Superintendent Homoeopathy / Senior Medical Officer Homoeopathy / Specialist Homoeopathy	Deputy Director, Homoeopathy / Superintendent Homoeopathy Hospital	05 Year	"do"

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
6	Homeopathy Medical Officer / R.M.O. (Homeo) / Female Homeo Medical Officer / AYUSH Doctor (Homeo)	Asstt. Superintendent Homeopathy Hospital / Senior Homeopathy Medical Officer / Specialist Homeopathy	5 years experience for Asstt. Suprintendent Homeopathy. Post graduate degree in a Clinical subject recognized by C.C.H. with 5 years experience for Senior Homeopathy medical officer/Specialist Homeopathy	"do"
7	Administrative Officer	Deputy Director , Non Technical	05 Years	"do"
8	Superintendent / Chief Auditor	Administrative Officer	05 Years	"do"
9	Nursing Sister / Matron (Junior Grade)	Matron (Senior Grade)	7 Years as Nursing Sister or 2 years as Matron (junior grade)	"do"
10	Asst. Director Ayurved/Ayurved Medical Officer / R.M.O. Ayurved / Female Ayurved Medical Officer / AYUSH Doctor (Ayurved)	District AYUSH Officer -/ Superintendent Ayurved Hospital / Principal, Govt. Female Ayurved Health Worker Training Center/ Specialist Ayurved/ Drug Inspector	5 Years. In addition to it post graduate degree in any clinical subject of Ayurved recognized by C.C.I.M. for specialist Ayurved and Post Graduate Degree in Kaya chitkita, Dravygun or Rasashastra & Bhaishajya Kalpana recognized by C.C.I.M. for Drug Inspector (Ayur. & Unani) or qualification as per Drugs & Cosmetics Act 1940 and prescribe qualification in rule 162 of rules 1945	"do"

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
11	Senior Research Vaidya / Asst. Superintendent Pharmacy / Oshadhi Nirman Vaidya	Superintendent Ayurved Pharmacy	05 Years	"do"
12	Unani Medical Officer	Superintendent Unani Pharmacy / Superintendent Ayurved & Unani Hospital / Superintendent Unani College Hospital	05 Years	"do"
13	Asst. Ayurved Medical Officer / Releiving Vaidya (Ayurved) / Research Librarian (Ayurved)	Asst. Director Ayurved / Ayurved Medical Officer / R.M.O. (Ayurved) / Woman Ayurved Medical Officer / AYUSH Doctor (Ayurved)	05 Years	"do"
14	Asst. Homoeopathy Medical Officer	Homoeopathy Medical Officer / R.M.O. (Homoeopathy) / Female Homoeopathic Medical Officer / AYUSH Doctor (Homoeopathy)	05 Years.	"do"
15	Stenographer	Senior Stenographer	05 Years	"do"



S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of colour (2) For the promotion to the post in colour (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
<b>Teaching Staff Ayurveda</b>				
16	Professor (Ayurved)	Principal (Ayurved)	Experience & qualification as Prescribed by C.C.I.M.	"do"
17	Reader Samhita Siddhant	Professor Samhita Siddhant/ Sanskrit	"do"	"do"
18	Reader Rachna Shaarir	Professor Rachna Shaarir	"do"	"do"
19	Reader Kriya Shaarir	Professor Kriya Sharir	"do"	"do"
20	Reader Dravyagun Vigyan	Professor Dravyagun Vigyan	"do"	"do"
21	Reader Ras Shastra & Bhaishajya Kalpna	Professor Ras Shastra & Bhesajya Kalpna	"do"	"do"
22	Reader Rog Nidaan	Professor Rog Nidaan	"do"	"do"
23	Reader Swasthavrat	Professor Swasthavrat	"do"	"do"
24	Reader Prasuti Tantra & Stri Roga	Professor Prashuti Tantra & Stri Rog	"do"	"do"
25	Reader Kaya Chikitsa	Professor Kaaye Chikitsa	"do"	"do"
26	Reader Shalya Tantra	Professor Salya Tantra	"do"	"do"
27	Reader Shalakya Tantra	Professor Shakakya Tantra	"do"	"do"
28	Reader Panchakarm	Professor Panchkarm	"do"	"do"
29	Lecturer Sanskrit / Samhita Siddhant	Reader Sanskrit / Samhita Siddhant	"do"	"do"
30	Lecturer Rachna Shaarir	Reader Rachna Shaarir	"do"	"do"
31	Lecturer Kriya Shaarir	Reader Kriya Shaarir	"do"	"do"

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of colour (2) For the promotion to the post in colour (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
32	Lecturer Dravyagun Vigyan	Reader Dravyagun	"do"	"do"
33	Lecturer Ras Shastra & Bhaishajya Kalpna	Reader Ras Shastra & Bhesajya Kalpna	"do"	"do"
34	Lecturer Rog Nidaan	Reader Rog Nidaan	"do"	"do"
35	Lecturer Swasthavritta	Reader Swasthavritta	"do"	"do"
36	Lecturer Aagad Tantra & Vidhi Ayurved	Reader Aagad Tantra & Vidhi Ayurved	"do"	"do"
37	Lecturer Prashuti Tantra & Stri Rog	Reader Prashuti Tantra & Stri Roga	"do"	"do"
38	Lecturer Koumar Bhritiya	Reader Komarya Bratya	"do"	"do"
39	Lecturer Kaaya Chikitsa	Reader Kaaya Chikitsa	"do"	"do"
40	Lecturer Shalya Tantra	Reader Shalya Tantra	"do"	"do"
41	Lecturer Shalakya Tantra	Reader Shalakya Tantra	"do"	"do"
42	Lecturer Panchkarm	Reader Panchkarm	"do"	"do"

By order and in the name of the Governor of MadhyaPradesh,  
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त, 2013

आयुष विभाग ,तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय सेवा भरती नियम, 2013

क्रमांक एफ-01-99/2009/उनसठ/आयुष.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) अराजपत्रित सेवा भरती नियम 1987 को अतिष्ठित करते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा, मध्य प्रदेश आयुष विभाग लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवाओं में भर्ती नियम से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग, लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 है।  
(ख) ये नियम “मध्य प्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-  
(क) सेवा के संबंध में “नियुक्त प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे उक्त सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति शासन द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् प्रत्यायोजित की जाए।  
(ख) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार।  
(ग) “राज्य” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य।  
(घ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के राज्यपाल।  
(ङ.) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची।  
(च) “अनुसूचित जातियों” से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।  
(छ) “अनुसूचित जनजातियों” से अभिप्रेत है कोई जाति, जनजाति, समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।  
(ज) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग।  
(झ) “सेवा” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा।  
(ञ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है प्रतियोगी परीक्षा जो सेवा में भर्ती के लिए नियम 11 के अधीन ली जाती हो।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :- मध्य प्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डीशन्स ऑफ सर्विस) रूल्स 1961 के अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।
4. सेवा का गठन :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद को मूलतः धारण कर रहे हों;
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए व्यक्ति।
5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :- सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे, परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी। सेवा के सदस्यों को वित्त विभाग के प्रावधानों के अंतर्गत समयमान वेतन की पात्रता होगी।
6. भर्ती का तरीका :- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-
- (क) प्रतियोगिता परीक्षा कर सीधी भर्ती द्वारा।
- (ख) अनुसूची-चार के कॉलम-2 में सम्मिलित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूलतः धारण करते हों जैसा कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक के पदों की संख्या एवं समय-2 पर शासन द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, सेवा की किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए जिनको कि कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जावेगी।
- (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के मत में सेवा की आवश्यकता के अनुसार ऐसा आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न जो उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसा तरीका अपना सकेगा जो इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।
7. सेवा में नियुक्ति :- इन नियमों के प्रारंभ होनेके पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्त :- परीक्षा में चयन किए जाने की पात्रता के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी 1 जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विहित दर्शाई गई आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में दर्शायी गई आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष की छूट दी जाये।

(ग) ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्याधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी :-

(i). अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक है और अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी अर्थात् आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों कार्यभारित, कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(ii). ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो,

**स्पष्टीकरण:-** शब्द “छटनी किए गए शासकीय कर्मचारी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किसी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो,

**स्पष्टीकरण:-** शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण करने या शासकीय सेवा में नियोजित होने हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया गया हो :-

- (i). ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो मस्टरिंग आऊट कन्सेशन के अधीन मुक्त किए गए हैं।
- (ii). ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया है और जिन्हें (क) अल्प अवधि के अनुबंध पूर्ण हो जाने पर (ख) भर्ती की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।
- (iii). मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी।
- (iv). ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन्ड अधिकारी भी आते हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया है।
- (v). ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है।
- (vi). ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे सक्षम सिपाही बनने के लिए योग्य नहीं हैं।
- (vii). ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लगने से घाव हो जाने आदि कारण से चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।
- (viii). म0प्र0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम-4 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट प्राप्त है, परन्तु सभी प्रवर्गों में सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
- (ड.) महिलाओं के लिये तथा विधवा एवं परित्यक्ता अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा में उतनी छूट दी जायेगी जितनी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार तत्समय लागू हो।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ज) "विक्रम पुरस्कार" धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (झ) मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष की आयु तक होगी।
- (ञ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि तक जो कि 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन होगी, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु उच्चतर आयु सीमा से 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी :-

- (i) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत परीक्षा योग्य माना गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तथापि वह पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें हटा दिया गया हो।
- (ii) विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।
- (iii) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रं0-सी 3-11/12/1/3, दिनांक 3.11.12 एवं 20.11.12 के अनुसार की जाये।

(2) शैक्षणिक अर्हता :- उसके पास विहित की गई ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जैसी कि अनुसूची तीन में दर्शायी गई हैं, परंतु

(क) आपवादिक मामलों में सरकार की सिफारिशों पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो सरकार की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिए पात्र ठहराता हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, डिग्री प्राप्त की हो सरकार के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकेगा।

(3) फीस :- उसे नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

#### 9- निरर्हता :-

- (i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न नियुक्त प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए उसे अनर्ह बनाएगा।
- (ii) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा।
- (iii) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दिनांक 26 जनवरी 2001 के बाद दो से अधिक संतान हों, सेवा के किसी पद पर नियुक्त के लिये निरर्ह होगा, परंतु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता हो सेवा के किसी पद पर नियुक्त के लिए निरर्ह नहीं होगा।
- (iv) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्त के लिये पात्र नहीं होगा,  
परन्तु जहाँ किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्त का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जावेगा।
- (v) कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :- चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

#### 11. चयन द्वारा सीधी भर्ती :-

- (i) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतराल से किया जाएगा जैसा कि नियुक्त प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे।
- (ii) सेवा में सम्मिलित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन नियुक्त प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नाम निर्दिष्ट की गई चयन समिति द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत किया जाएगा,

- (iii) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश सरकार के तत्समय लागू नियमों में विहित संख्या में रिक्तियां आरक्षित रखी जायेंगी।
- (iv) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी हो।
- (v) प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये शासन द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार उप नियम (3) के अर्थात् यथा स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवारों के लिये रक्षित किए स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।
- (vi) यदि अनुसूचित जाति जन जाति के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां सरकार के पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगी।
- (vii) शासन द्वारा निःशक्तजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था समस्तर (Horizontal) और प्रभागवार (Compartment wise) रहेगी।
- (viii) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा उनके समक्ष साक्षात्कार करने के पश्चात् किया जायेगा।
12. नियुक्ति के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची -
- (1) नियुक्ति प्राधिकारी (चयन समिति) सम्यक रूप से चयन किए गए ऐसे अभ्यर्थियों की जिन्होंने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित मानक के अनुसार अर्हता प्राप्त कर ली हो, गुणागुण के आधार पर एक सूची तैयार करेगा तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के ऐसे अभ्यर्थियों की जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो एक सूची तैयार करेगा, सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन आफ सर्विस)रूल्स 1961 के उपबंधों अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा, जिस क्रम में सूची में उनके नाम दिए गए हो,
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसे जाँच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। प्रार्थी जिनके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगा।



13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

(1) पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक न हो।

(iii) उतनी संख्या में रिक्तियां जितनी कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस निमित्त जारी, तत्समय लागू नियमों में विहित हों पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से कमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के ऐसे अभ्यर्थियों के लिये जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों, आरक्षित रखी जायेंगी।

(3) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया, सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :-

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद पर या किसी अन्य पद या सरकार द्वारा घोषित समतुल्य पदों पर, इतने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप में) जिसकी संख्या उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या से कम न हो, लगातार पूर्ण कर ली हो।

ऐसे लिपिकीय पदों पर, जिनमें लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य हो, केवल ऐसे ठीक अगले कनिष्ठ व्यक्तियों में से पदोन्नति की जाएगी, जिन्होंने लेखा में अर्हता प्राप्त कर ली हो। ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें विहित पदों पर लेखा में अर्हता प्राप्त किए बिना पदोन्नत किया जाना विभाग की जरूरत अनुसार आवश्यकता हो तो ऐसे अभ्यर्थियों को पदोन्नति की तारीख से 02 वर्ष की कालावधि के भीतर लेखा में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी/ पदोन्नति के लिए इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) चयन का क्षेत्र " गुणवत्ता व ज्येष्ठता " (Merit cum Seniority) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में, चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सामान्यतः सात गुना तक और "ज्येष्ठता व गुणवत्ता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के मामले में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित होगा,

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो तो समिति क्षेत्र को, उस सीमा तक, जहां तक कि वह आवश्यक समझे, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बढ़ा सकेगी।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त ठहराए गए हों, यह चयन सूची, तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक प्रतीक्षा सूची उपयुक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित किये जाने वाला चयन पदोन्नति नियम 2002 के प्रावधानानुसार अथवा शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानानुसार होगा।

- (3) सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची के तैयार करते समय, अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।  
परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ कर्मचारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण :-** ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया हो ज्येष्ठता का दावा नहीं रहेगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।  
(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण करना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के कारण अभिलिखित करेगी।

#### 16 चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।  
(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो समिति के प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी देगा और समिति की टिप्पणियों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे उपाभरणों के साथ, जो उसकी (नियुक्ति प्राधिकारी) राय में न्याय-संगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से सूची को अनुमोदित कर सकेगा।  
(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।  
(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 5 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाए, किन्तु उसका विधिमान्यता उसके तैयार किए जाने की तारीख में 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के निर्देशों पर चयन समिति द्वारा सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उपयुक्त समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी,

#### 17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

- (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के बाहर आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हों।  
परन्तु जहाँ प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना आपेक्षित हो, वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जिसका नाम चयन सूची में दिए गए क्रम में अगला न हो सेवा में नियुक्ति किया जा सकेगा जबकि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(2) जिस व्यक्ति का नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, उसकी सेवा में नियुक्ति के समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची उसका नाम सम्मिलित करने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की सेवा में ऐसी हो जिसमें उसका सेवा में नियुक्त किया जाना अनुपयुक्त न हो।

18. **परिचीक्षा :-** सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिचीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन :-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण :-** इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति के मामले में, जिसको ये नियम लागू होते हैं ऐसी रीति में कार्यवाही करने की राज्य सरकार की शक्ति को सीमित या कम करती है। जो उसे उचित और व्यापारपूर्ण प्रतीत होती हो,

परंतु किसी मामले को ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो उसके लिए इन नियमों में किये गये उपबंधों से कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन :-** इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या कार्यवाही की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशि खत्री, उपसचिव.

अनुसूची एक  
(नियम 5 देखिये)

क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
संचालनालय की स्थापना के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित)				
प्रवर्ग एक				
1	अधीक्षक	03	लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी	9300-34800 ग्रेड पे 3600
2	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1	08	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
3	सहायक ग्रेड-2/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	12	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2400
4	सहायक ग्रेड-3	18	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 1900
प्रवर्ग दो				
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तदैव	9300-34800 ग्रेड-पे 3200
6	मुख्य अंकेक्षक	01	तदैव	9300-34800 ग्रेड-पे 3200
7	अंकेक्षक	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
8	मुख्य लेखापाल	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
9	लेखापाल/कैशियर	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2400
प्रवर्ग तीन				
10	शीघ्रलेखक	03	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
11	स्टेनो टायपिस्ट	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 1900
संभागीय/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के कर्मचारी				
प्रवर्ग एक				
12	अधीक्षक	09	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	9300-34800 ग्रेड-पे 3600
13	सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक वरिष्ठ ग्रेड)	19	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
14	सहायक ग्रेड-2/मुख्य लिपिक (कनिष्ठ ग्रेड) /भण्डारी/ स्टीवर्ड	213	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2400
15	सहायक ग्रेड-3/सहायक भण्डारी /सहायक स्टीवर्ड	175	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 1900

क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
<b>प्रवर्ग दो</b>				
16	कनिष्ठ लेखाधिकारी (आयुर्वेद कालेज)	01	तदैव	9300-34800 ग्रेड-पे 3600
17	कनिष्ठ लेखाधिकारी (यूनानी कालेज)	01	तदैव	9300-34800 ग्रेड-पे 3600
18	लेखापाल	72	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2400
<b>प्रवर्ग तीन</b>				
19	निर्देशक विज्ञान	06	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	5200-20200 ग्रेड पे 2800
20	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/भार्याही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	204	तदैव	9300-34800 ग्रेड पे-3200 ब्रम्हस्वरूप
21	सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	10	तदैव	9300-34800 ग्रेड पे-3200
22	अनुसंधान पुस्तकालाध्यक्ष (आयुर्वेद स्नातक)	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2400
23	औषधि संयोजक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी)	1747	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 1900
<b>प्रवर्ग चार</b>				
24	मेट्रन/मेट्रन कनिष्ठ ग्रेड	07	तदैव	9300-34800 ग्रेड पे 4200
25	नर्सिंग सिस्टर	31	तदैव	9300-34800 ग्रेड-पे 3600 ब्रम्हस्वरूप
26	स्टाफ नर्स	120	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800 ब्रम्हस्वरूप
27	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन) बॉटनी / फार्माकोगनोसी आयुष ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800

क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
28	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन) केमेस्ट्री आयुष इग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 2800
29	लेब असिस्टेंट (इग टेस्टिंग लेब) आयुष इग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर	01	तदैव	5200-20200 ग्रेड पे 1900

अनुसूची दो  
(नियम 6 देखिये)

क.	पद का नाम	पदों की संख्या	चयन/साक्षात्कारी/परीक्षा के जरिये सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
1	2	3	4	5	6
संचालनालय की स्थापना के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित)					
प्रवर्ग एक					
1	अधीक्षक	03	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
2	सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1	08	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
3	सहायक ग्रेड-2/कम्प्यूटर आपरेटर	12	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
4	सहायक ग्रेड-3	18	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	कोई नहीं
प्रवर्ग दो					
5	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	कोई नहीं	कोई नहीं	लेखा सेवा से स्थानांतरण द्वारा
6	मुख्य अंकेक्षक	01	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
7	अंकेक्षक	01	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
8	मुख्य लेखापाल	01	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
9	लेखापाल/कैशियर	01	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
प्रवर्ग तीन					
10	शीघ्रलेखक	03	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत	कोई नहीं
11	स्टेनो टायपिस्ट	01	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं

क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	चयन/साक्षात्कारी/परीक्षा के जरिये सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अव्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
1	2	3	4	5	6
<b>संभागीय/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के कर्मचारी</b>					
<b>प्रवर्ग एक</b>					
12	अधीक्षक	09	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
13	सहायक ग्रेड-1/मुख्य लिपिक वरिष्ठ ग्रेड	19	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
14	सहायक ग्रेड-2/मुख्य लिपिक (कनिष्ठ ग्रेड) / भण्डारी/(स्टोर कीपर)/ स्टीवर्ड	213	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
15	सहायक ग्रेड-3/सहायक भण्डारी/(असिस्टेंट स्टोर कीपर) सहायक स्टीवर्ड	175	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	कोई नहीं
<b>प्रवर्ग दो</b>					
16	कनिष्ठ लेखाधिकारी (आयुर्वेद कालेज)	01	कोई नहीं	कोई नहीं	लेखा सेवा से स्थानांतरण द्वारा
17	कनिष्ठ लेखाधिकारी (यूनानी कालेज)	01	कोई नहीं	कोई नहीं	लेखा सेवा से स्थानांतरण द्वारा
18	लेखापाल	72	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
<b>प्रवर्ग तीन</b>					
19	निर्देशक विज्ञान	06	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
20	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/भास्याही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	204	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं



क.	पद का नाम	पदों की संख्या	चयन/साक्षात्कारी/ परीक्षा के जरिये सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
1	2	3	4	5	6
21	सहायक चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	10	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
22	अनुसंधान पुस्तकालयाध्यक्ष (आयुर्वेद स्नातक)	01	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
23	औषधि संयोजक (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी)	1747	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	कोई नहीं
<b>प्रवर्ग चार</b>					
24	मेट्रन	07	कोई नहीं	100 प्रतिशत	कोई नहीं
25	नर्सिंग सिस्टर	31	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	कोई नहीं
26	स्टाफ नर्स	120	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
27	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन) बॉटनी / फार्माकोगनोसी आयुष इग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	01	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
28	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन) केमेस्ट्री आयुष इग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	01	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं
29	लेब असिस्टेंट (इग टेस्टिंग लेब) आयुष इग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर	01	100 प्रतिशत	कोई नहीं	कोई नहीं

## अनुसूची तीन (नियम 8 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम	व्यवृत्तम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम)
1	2	3	4	5

संचालनालय की स्थापना के कर्मचारी प्रवर्ग-एक

1	सहायक ग्रेड-3	18	40	(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (ग) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा लेबल एक्जामिनेशन अथवा गर्वर्न्मेन्ट पोलीटेक्नीक कालेज से माडर्न आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
---	---------------	----	----	---

प्रवर्ग-दो

2	शीघ्रलेखक	18	40	(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद अथवा आई.टी. आई. से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। (ग) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (घ) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा लेबल एक्जामिनेशन अथवा गर्वर्न्मेन्ट पोलीटेक्नीक कालेज से माडर्न आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
---	-----------	----	----	--

11011

कमांक	पद का नाम	ब्यबूतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम)
1	2	3	4	5
3	स्टेनो टायपिस्ट	18	40	(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से अथवा आई.टी. आई. से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। (ग) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा लेबल एकाजामिनेशन अथवा गर्वन्मेंट पोलीटेक्निक कालेज से माडर्न आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (घ) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण।

संभागीय/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के कर्मचारी प्रवर्ग-एक

4	सहायक ग्रेड-3/ सहायक भण्डारी, सहायक स्टीवर्ड	18	40	(क) माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से बारहवी) परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से हिन्दी मुद्रण लेखन परीक्षा उत्तीर्ण। (ग) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा लेबल एकाजामिनेशन अथवा गर्वन्मेंट पोलीटेक्निक कालेज से माडर्न आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण।
---	--	----	----	---

प्रवर्ग-2

5	निदेशक (विज्ञान)	18	40	(क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बाटनी में एम.एस.सी उपाधि। (ख) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बाटनी में टेक्सनामी या फार्माकागनोसी विषय सहित डाक्टरेट उपाधि एवं बाटनिस्ट/फार्माकोगनिस्ट पद पर कार्य अनुभव को वरीयता।
---	------------------	----	----	---

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता (ब्यूनतम)
1	2	3	4	5
6	सहायक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी/ भारग्राही सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी/ कनिष्ठ अनुसंधान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	18	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य उपाधि तथा मध्य प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत।
7	अनुसंधान पुरस्कालयाध्यक्ष आयुर्वेद	21	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य स्नातकोत्तर उपाधि।
<b>औषधि संयोजक (कम्पाउण्डर)</b>				
8	(अ) औषधि संयोजक (आयुर्वेद)	18	40	मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण उत्तीर्ण अथवा आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण। म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।
	(ब) औषधि संयोजक (होम्योपैथी)	18	40	मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर का एक वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण। सह चिकित्सीय परिषद् में पंजीयन।
	(स) औषधि संयोजक (यूनानी)	18	40	उच्चतर माध्यमिक शाला म. प्र. परीक्षा उत्तीर्ण, जिसमें उर्दू, एक विषय हो तथा उर्दू और हिन्दी लेखन का ज्ञान हो। यूनानी कम्पाउण्डर के मान्यता प्राप्त एक वर्षीय प्रशिक्षित को वरीयता।
<b>प्रवर्ग-तीन</b>				
9	नर्सिंग सिरस्ट	18	40	मान्यता प्राप्त संस्था से बी०एस०सी० (नर्सिंग) / जी०एन०एम०परीक्षा उत्तीर्ण विधि द्वारा स्थापित परिषद् में रजिस्ट्रीकृत, प्रतिष्ठित चिकित्सालय में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव।
10	स्टाफ नर्स	18	40	मान्यता प्राप्त संस्था से बी०एस०सी० (नर्सिंग) / जी०एन०एम०परीक्षा उत्तीर्ण विधि द्वारा स्थापित परिषद् में रजिस्ट्रीकृत।

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतम)
1	2	3	4	5
11	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन बॉटनी फार्माकोग्नोसी)आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	18	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बॉटनी में एम.एस.सी उपाधि।
12	एनालिस्ट (लेब टेक्नीशियन केमेस्ट्री) आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ग्वालियर	18	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में एम.एस.सी. उपाधि।
13	लेब असिस्टेन्ट (इंग टेस्टिंग लेब) आयुष इंग टेस्टिंग लेबोरेटरी ग्वालियर	18	40	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बॉटनी एवं केमेस्ट्री विषय सहित बी.एस.सी उपाधि।

**अनुसूची चार**  
**(नियम 14 देखिये)**

अनु.क	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है ।	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
<b>संचालनालय की स्थापना के कर्मचारी वर्ग-एक</b>				
	सहायक अधीक्षक /सहायक ग्रेड-1	अधीक्षक	05 वर्ष	1- संयुक्त संचालक (वरिष्ठ) 2- उप संचालक (प्रशासन) 3- प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष सदस्य सदस्य
	सहायक ग्रेड-2	सहायक अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1	05 वर्ष	तदैव
	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/ कम्प्यूटर आपरेटर/ लेखापाल	05 वर्ष का अनुभव लेखापाल के पद के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य	तदैव
<b>वर्ग-दो</b>				
	अंकेक्षक/ मुख्य लेखापाल	मुख्य अंकेक्षक	05 वर्ष	तदैव
	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	मुख्य लेखापाल/ अंकेक्षक	05 वर्ष का अनुभव एवं लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण।	तदैव

अनु.क	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
<b>प्रवर्ग-तीन</b>				
6	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक(रटेनोग्राफर)	0.5 वर्ष का अनुभव।	तदैव
7	भृत्य/चौकीदार/दफ्तारी	सहायक ग्रेड-3	0.5 वर्ष का अनुभव साथ ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2 पद्धति से बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा सा0 प्र0वि0 परिपत्र दिनांक 12.6.09 में उल्लेखित कम्प्यूटर योग्यता	तदैव
<b>संभागीय/जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के कर्मचारी</b>				
<b>प्रवर्ग-एक</b>				
8	सहायक ग्रेड-1/ मुख्य लिपिक(ग्रेड-1)	अधीक्षक	0.5 वर्ष	1-प्राचार्य 2-संभागीय आयुष अधिकारी 3-जिला आयुष अधिकारी (वरिष्ठ) सदस्य
9	सहायक ग्रेड-2/ मुख्य लिपिक (ग्रेड-2)/ लेखापाल/ कैशियर	मुख्य लिपिक (ग्रेड-1)/सहायक ग्रेड-1	0.5 वर्ष	तदैव

अनु.क	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
10	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2/मुख्य लिपिक कनिष्ठ-ग्रेड-2/लेखापाल /कैशियर	05 वर्ष (लेखापाल/कैशियर के पद के लिए लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य)	तदैव
<b>प्रवर्ग-दो</b>				
11	सहायक भण्डारी / सहायक स्टीवर्ड/ कम्पाउण्डर (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी)	स्टोर कीपर / स्टीवर्ड	05 वर्ष	तदैव
<b>प्रवर्ग-तीन</b>				
12	औषधि संयोजक (आयुर्वेद)	सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	05 वर्ष साथ ही सी.सी.आई.एम. द्वारा मान्य चिकित्सीय अर्हता एवं मध्य प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में वैध पंजीयन।	तदैव
13	औषधि संयोजक (होम्योपैथी)	सहायक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	05 वर्ष साथ ही सी.सी.एच. द्वारा मान्य चिकित्सीय अर्हता एवं मध्य प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित परिषद् में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में वैध पंजीयन।	तदैव



अनु.क	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
14	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य औषधालय सेवक, दवासाज, दाई, आदि किसी भी चतुर्थ श्रेणी पद से)	सहायक ग्रेड-3/ सहायक भण्डारी/ सहायक स्टीवर्ड कम्पाउन्डर आयुर्वेद/ होम्योपैथी/ यूनानी	सहायक भण्डारी/ सहायक स्टीवर्ड सहायक ग्रेड -3 के पद के लिये 05 वर्ष के अनुभव के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2 पद्धति से बारहवीं कक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा सा.प्र.वि.परिपत्र दि. 12.6.09 में उल्लेखित कम्प्यूटर योग्यता। कम्पाउन्डर पद के लिए 05 वर्ष के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त कम्पाउन्डर प्रशिक्षण अथवा महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण उत्तीर्ण एवं पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत।	तदैव
15	नर्सिंग सिस्टर	मेट्रन (कनिष्ठ ग्रेड)	3 वर्ष	तदैव
16	स्टाफ नर्स	नर्सिंग सिस्टर	3 वर्ष	तदैव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशि खत्री, उपसचिव.

Bhopal, dated 19th August 2013

**Dept. of Ayush Class III Clerical and Non Clerical Recruitment Rules 2013**

**No. F -01-99/2009/1/59/Ayush :** In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, superceding the Public Health (Indian System of Medicine & Homoeopathy) Non Gazzeted service recruitment rules 1987 the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Madhya Pradesh Ayush Department Class III Clerical and Non Clerical Services, namely:-

**RULES**

**1. Short title and Commencement:-**

- (a) These rules may be called the Madhya Pradesh Ayush Department (Clerical and Non Clerical Class III) Services Recruitment Rules, 2013.
- (b) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

**2. Definitions: -** In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means such authority to whom the power of appointment to that post or service has been delegated or may here after be delegated by the Government.
- (b) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (c) "State" means the state of Madhya Pradesh;
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (f) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (g) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (h) "Other Backward Classes" means the other Backward Classes as specified by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F-85-XXV-4-84, dated the 26<sup>th</sup> December, 1984 as amended from time to time;
- (i) "Service" means the Madhya Pradesh Ayush Department Clerical and Non Clerical Class III Service;
- (j) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11 of the Rules.

**3. Scope and Application: -** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of the service.

- 4. Constitution of the Service:** - The service shall consist of the following persons, namely:-
- (i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
  - (ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and
  - (iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, scale of pay etc. :-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I;
- Provided that the Government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis. The members of the service shall be entitled for time scale according to the provisions of the Finance Department of the Government.
- 6. Methods of Recruitment:-**
- (i) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely,
    - (a) By direct recruitment by competitive examination/selection;
    - (b) By promotion of the member of the service included in column (2) of Schedule IV;
    - (c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.
  - (ii) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (i) shall not at any time exceed the number of posts as specified in schedule I and the number of posts sanctioned by the Government from time to time.
  - (iii) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purposes of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.
  - (iv) Notwithstanding anything contained in sub-rule (i), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing authority may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment of the service other than those specified in said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.
- 7. Appointment to the service:** - All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in the rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment:** - In order to be eligible to be selected/compete at the examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age:-**

- (a) He must have attained the age as specified in column (3) and not attained the age as specified in column (4) of schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the Selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxed up to the maximum of five years in case of the candidate belonging to a Schedule Caste or Schedule Tribe or Other Backward classes.
- (c) The upper age limit will also be relax able in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
  - (i) The upper age limit will be relax able up to a maximum of five years i.e. age not exceeding 45 years in respect of a candidate, who is holding a post permanently or temporarily and applying for another post. This concession shall also be admissible to contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committees.
  - (ii) A candidate who is a retrenched Government Servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

**Explanation:** - The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent period of not less than six months and who was discharged because or reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A Candidate, who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation :-** The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :-

- (i) Ex- Serviceman released under mustering out concessions.
  - (ii) Ex- Serviceman enrolled for the second time and discharged on:-
    - (a) Completion of short-term engagement.
    - (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
  - (iii) Ex-Personnel of Madras Civil Unit.
  - (iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers.)
  - (v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
  - (vi) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
  - (vii) Ex-Serviceman who is medically boarded out on account of gun-shot wounds etc.
  - (viii) As per rule-4 of M.P. civil services - 1997 (special provision for recruitment of females), there is relaxation upto 10 years in the upper age limit. But for the direct recruitment of female candidates for all categories, the upper age limit shall be 45 years.
- (e) The upper age limit shall be relax able up to the maximum limit of such period as prescribed by the General administration Department and is applicable in respect of widow and divorced or other female.
  - (f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 years in respect of green card holder candidate under family welfare programme.
  - (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded couple of inter-caste marriage incentive scheme, under the Tribal, schedule caste and backward classes welfare department.
  - (h) The General upper age limit shall also be relaxed able up to 5 years in respect of "Vikram Award" holder candidate.

- (i) The upper age limit shall be 45 years in respect of employees of Madhya Pradesh State Corporation/ Boards.
- (j) The upper age limit will be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of the Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 45 years.

**N.B.--**

- (i) Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in rules 8(c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign, from service either before or after selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the services or post after submitting the applications.
  - (ii) The Departmental Candidates will have to give prior information to their appointing authorities to appear for selections.
  - (iii) Including all the relaxations in any condition in all the categories, the upper age limit should not exceed 45 years. Upper age limit will be counted as per circular no. C 3-11/12/1/3, dated 3.11.12 and 20.11.12
- (2) **Educational Qualification:** - He must possess the educational qualification as prescribed in schedule -III
- Provided that :-**
- (a) in exceptional cases on the recommendation of the Government a candidate may be treated as qualified who though not possessing any of the qualification prescribed in this clause has passed examinations conducted by other institutions by such a standard due to which the opinion of the selection committee considers the candidate as eligible for selection.
  - (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities, being universities not specifically recognized by Government may also be admitted to the examination at the discretion of the Government.
- (3) **Fees:** - Candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

**9. Disqualifications :-**

- (i) An attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to disqualify him for selection.
- (ii) No candidate who has got married before attaining the minimum age as fixed by law, shall be eligible for appointment on any post of service
- (iii) No candidate who has more than two children after 26<sup>th</sup> January 2001, shall be eligible for appointment on any post of service, provided that any candidate who has one child and has got the next birth of two or more children together through a delivery on or after 26<sup>th</sup> January 2001, shall not be held ineligible for appointment on any post of service.
- (iv) No candidate who has been proved victim of any crime against women shall be eligible for appointment on any post of service.

**Provided** in such cases where criminal cases are pending against the candidate in the court, the appointment of the candidate shall be withheld until the final decision of the case.

- (v) No male candidate who has more than one wives alive, and no female candidate who has married to such person who has already a wife alive shall be eligible for appointment on any post of service

- 10. Appointing authorities' decision about the eligibility of candidate shall be final:-**  
The decision of the appointing authority as to the eligibility or ineligibility of a candidate for selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall not be interview by the selection committee.

**11. Direct Recruitment by selection:-**

- (i) A selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may, from time to time determine.
- (ii) The selection of the candidate for appointment to the post included in the service shall be made after the competitive examination by the selection committee nominated by the appointing authority from time to time.
- (iii) Out of the vacancies available for direct recruitment vacancies shall be kept reserved in such number as prescribed in rules by the Government of Madhya Pradesh applicable for the time being for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, physically handicapped persons, ex- service man & female classes.
- (iv) While filling the reserved vacancies those candidates who are members of the Schedule Castes, Schedule Tribes and the Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

- (v) Keeping in view maintaining the competence of the administration, the candidates of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes selected by the Government may be appointed on the vacancies reserved under sub-rule (iii) for Schedule Castes, Schedule Tribes or Other Backward Classes as the case may be.
- (vi) If eligible candidates of Schedule Castes, Schedule Tribes are not available in sufficient number, the vacancies remaining in such case, shall not be filled by other candidate without the permission of the State Government and shall be kept vacant for the next selection.
- (vii) Reservation for the physically handicapped candidates will be done horizontal and compartment wise by the Government.
- (viii) Selection of candidates will be done after the interview before the Commission.

**12. List of candidates selected for appointment:-**

- (i) The appointing authority (selection committee) shall prepare a list of candidates duly selected who have qualified by such standards as prescribed by the appointing authority, a list on merit shall be prepared and may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who though are not qualified by the standard, but are declared to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.
- (ii) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (iii) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service. Post or posts reserved for candidates, shall not be unreserved by any means for any other candidates.

**13. Appointment by promotion:-**

- (i) There be constituted a committee consisting of the members in the Schedule-IV for making selection for promotion of eligible candidates.
- (ii) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (iii) As prescribed by the rules made by the General Administration Department for this purpose and applicable for time being. Vacancies in such number out of the available vacancies for promotion shall be reserved for candidates belonging to the scheduled castes and scheduled tribes who are eligible for promotion in accordance with the provision of rule 14.
- (iv) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department, from time to time.



**14. Conditions of eligibility for promotion:-**

- (i) Subject to the provision of sub-rule (2) the departmental promotion committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service in continuity (whether substitutively or fundamentally), as mentioned in column (4) of schedule-IV in the post mentioned in column (2) of the said schedule or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government.

On such clerical post where accounts training is compulsory, only out of such subsequent persons promotion will be done who has acquired accounts training qualification. Whereas such person who are not trained in accounts and are to be promoted as per the need and want of department than such person must qualify accounts training within two years from the date of promotion.

**Provided** further that any junior person shall not be considered for selection grade / promotion in preference to the person senior to him only on the basis that he has completed the prescribed years of service.

- (ii) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list if the promotion is to be made on the basis of "merit-cum seniority" and five times of the officers to be included in the selection list if the promotion is to be made on the basis of "seniority subject to fitness"

**Provided** that if the required numbers of suitable officers are not available in the field so determined the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

**15. Preparation of list of suitable candidates:-**

- (i) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (ii) The selection for inclusion in such list shall be in accordance with the provisions made in promotion rules 2002 or as per the provision issued by the Government from time to time in context.

- (iii) The names of the candidates included in the list shall be arranged in order of seniority in the post as specified in column (2) of schedule-IV at the time of preparation of each select list.

**Provided** any such junior candidate who in the opinion of committee is extraordinarily meritorious and suitable shall be placed higher in the list in relation to the candidate senior to him.

**Explanation:** - A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim for seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (iv) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (v) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to super cede any member of the service; the committee shall record its reasons for the proposed suppression.

#### 16. Selection list:-

- (i) The appointing authority shall consider the list prepared by the committee and shall approve it unless he thinks it is necessary to make any change in it.
- (ii) If the appointing authority thinks it is necessary to amend the list received from the committee he shall inform the proposed amendments to the committee and after considering the comments of the committee if any, may finally approve the list after due consideration with such amendments which are justified and appropriate in his (appointing authority's) opinion.
- (iii) The list as finally approved by the appointing authority, shall form the select list for promotion of the members of service.
- (iv) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

**Provided** that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties in the part of any persons included in the select list, a Special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority, and the selection committee may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

**17. Appointment to the service from the selection list :-**

- (i) Appointment of the candidates included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such candidates appear in the select list.

**Provided** that, where administrative exigencies so required a persons whose name is not included in the selection list or who is not next in order in the selection list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

- (ii) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the selection list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deteriorations in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

- 18. Probation:-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation; for a period of two years.

- 19. Interpretation:-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

- 20. Relaxation:-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

**Provided** that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

- 21. Savings: -** Nothing in these rules shall affect reservation and conditions required to provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward sses in accordance with orders issued by the State Government from time to time in this regard.

- 22. Repeal : -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

**Provided** that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of MadhyaPradesh,  
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.

## Schedule -I (Non Gazetted Class III)

(See Rule -5)

1	Name of the post included in service	2	3	4
		No of Posts	Classification	Scale of Pay
<b>Employees of establishment in Directorate (Grade - III Non Gazetted) :-</b>				
<b>Category -I</b>				
1-	Superintendent	03	Class III Clerical	9300-34800 Grade Pay 3600
2-	Assistant Superintendent / Assistant Grade-I	02/07	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
3-	Assistant Grade -II / Computer Operator	12	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
4-	Assistant Grade-III	18	"do"	5200-20200 Grade Pay 1900
<b>Category -II</b>				
5-	Junior Accountant Officer	01	"do"	9300-34800 Grade Pay 3200
6-	Chief Auditor	01	"do"	9300-34800 Grade Pay 3200
7-	Auditor	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
8-	Chief Accountant	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
9-	Accountant / Cashier	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
<b>Category - III</b>				
10-	Stenographer	03	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
11-	Steno Typist	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 1900
<b>Employees of establishment in Divisional / District level Offices :-</b>				
<b>Category -I</b>				
12-	Superintendent	09	Class III Clerical	9300-34800 Grade Pay 3600
13-	Assistant Grade-I / Head Clerk (Senior Grade)	02	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
14-	Assistant Grade -II / Head Clerk (Junior Grade)/ Store keeper / Steward	230	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
15-	Assistant Grade -III / Assistant Store keeper / Assistant Steward	175	"do"	5200-20200 Grade Pay 1900
<b>Category -II</b>				
16-	Junior Account Officer (Ayurved College)	01	"do"	9300-34800 Grade Pay 3600
17-	Junior Account Officer (Unani College)	01	"do"	9300-34800 Grade Pay 3600
18-	Accountant	72	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
<b>Category -III</b>				
19-	Demonstrator Science	06	Class III Non Clerical	5200-20200 Grade Pay 2800
20-	Assistant Ayurvedic Medical Officer / Reliving Assistant Ayurvedic Medical Officer /Junior Research Ayurvedic Medical Officer	204	"do"	9300-34800 Grade Pay 3200 (Brahmswarup)
21-	Assistant Medical Officer (Homeopathic)	10	"do"	9300-34800 Grade Pay 3200

A

Name of the post included in service	No of Posts	Classification	Scale of Pay
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
22- Research Librarian (Ayurved Graduate)	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
23- Physical Trainer	05	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
24 Technician (Lab)	06	"do"	5200-20200 Grade Pay 2400
25- Compounder (Ayurvedic/Homeopathic/Unani)	1747	"do"	5200-20200 Grade Pay 1900
<b>Category -IV</b>			
26- Matron / Matron (Junior Grade)	07	Class III Non Clerical Grade	9300-34800 Grade Pay 4200
27- Nursing Sister	31	"do"	9300-34800 Grade Pay 3600 (Brahmswarup)
28- Staff Nurse	153	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800 (Brahmswarup)
29- Analyst (Lab Technician) Botany/Pharmacognosy Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
30- Analyst (Lab Technician) Chemistry Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 2800
31- Lab Assistant (Drug Testing Lab) Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	"do"	5200-20200 Grade Pay 1900

2

**Schedule -II**  
**(See Rule -6)**

Name of the Post	Total No Post	Selection/Interview/Thro ugh test by direct recruitment	Promotion	Transfer of person from other service
1	2	3	4	5
<b>Employees of establishment in Directorate (Class III Non-Gazette)</b>				
<b>Category - I</b>				
1- Superintendent	03	Nil	100%	Nil
2- Assistant Superintendent / Assistant Grade-I	08	Nil	100%	Nil
3- Assistant Grade -II / Computer Operator	12	Nil	100%	Nil
4- Assistant Grade-III	18	75 %	25%	Nil
<b>Category - II</b>				
5- Junior Accountant Officer	01	Nil	Nil	By Transfer from account services
6- Chief Auditor	01	Nil	100%	Nil
7- Auditor	01	Nil	100%	Nil
8- Chief Accountant	01	Nil	100%	Nil
9- Accountant / Cashier	01	Nil	100%	Nil
<b>Category - III</b>				
10- Stenographer	03	60%	40%	Nil
11- Steno Typist	01	100%	Nil	Nil
<b>Employees of establishment in Divisional / District level Offices:-</b>				
<b>Category - I</b>				
12- Superintendent	09	Nil	100%	Nil
13- Assistant Grade-I / Head Clerk (Senior Grade)	19	Nil	100%	Nil
14- Assistant Grade-II/ Head Clerk (Junior Grade) / Store keeper / Steward	213	Nil	100%	Nil
15- Assistant Grade -III	175	75%	25%	Nil
<b>Category - II</b>				
16- Junior Accountant (Ayurved College)	01	Nil	Nil	By Transfer from account services
17- Junior Accountant (Unani College)	01	Nil	Nil	By Transfer from account services
18- Accountant	72	Nil	100%	Nil

Name of the Post	Total No Post	Selection/Interview/Th rough test by direct recruitment	Promotion	Transfer of person from other service
1	2	3	4	5
<b>Category -III</b>				
19-Demonstrator Science	06	100%	Nil	Nil
20- Assistant Ayurvedic Medical Officer/ Reliving Assistant Ayurved medical Officer/Junior Research Ayurvedic Medical Officer	204	Nil	100%	Nil
21- Assistant Medical Officer (Homeopathy)	10	Nil	100%	Nil
22- Research Librarian (Ayurved Graduate)	01	100%	Nil	Nil
23- Compounder (Ayurvedic, Homeopathic, Unani)	1747	75%	25%	Nil
<b>Category -IV</b>				
24- Matron	07	Nil	100%	Nil
25- Nursing Sister	31	50%	50%	Nil
26- Staff Nurse	120	100%	Nil	Nil
27- Analyst (Lab Technician) Botany Pharmacognosy Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	100%	Nil	Nil
28- Analyst (Lab Technician) Chemistry Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	100%	Nil	Nil
29- Lab Assistant (Drug Testing Lab) Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	01	100%	Nil	Nil

**Schedule -III  
(See Rule -8)**

Name of the Post	Minimum Age	Maximum Age	Precribed Qualification (Mimimum)
1	2	3	4
<b>Employees of establishment in Directorate</b>			
<b>Category -I</b>			
1- Assistant Grade-III	18	40	(A) Higher Secondary School Certificate exam (Twelfth class by 10+2 system) pass from Board of Secondary education or from any other recognized institute. (B) Hindi Typing exam passed from M. P. Shorthand and Typing board or equivalent recognized institution. (C) Diploma in Computer from a university or open university recognized by U.G.C. or Diploma level exam pass from D.O.E.A.C.C. or Modern Office Management examination from by Govt. Polytechnic College.
<b>Category -II</b>			
2- Stenographer	18	40	(A) Higher Secondary School Certificate exam (Twelfth class by 10+2 system) pass from Board of Secondary education or from any other recognized institute. (B) Hindi Short Hand exam with 100 words per minutes speed pass from M. P. Shorthand and Typing board or I.T. I. (C) Hindi Typing exam passed from M. P. Shorthand and Typing board or from any other recognized board/institution. (D) Diploma in Computer from a university or open university recognized by U.G.C. or Diploma level exam pass from D.O.E.A.C.C. or Modern Office Management examination from by Govt. Polytechnic College.
3- Steno Typist	18	40	(A) Higher Secondary School Certificate exam (Twelfth class by 10+2) system pass from Board of Secondary education or from any other recognized institute. (B) Hindi Short Hand exam with 80 words per minutes speed pass from M. P. Shorthand and Typing board or I.T. I. (C) Diploma in Computer from a university or open university recognized by U.G.C. or Diploma level exam pass from D.O.E.A.C.C. or Modern Office Management examination from by Govt. Polytechnic College. (D) Hindi Typing exam passed from M. P. Shorthand and Typing board or recognized institution.



Name of the Post	Minimum Age	Maximum Age	Precribed Qualification (Mimimum)
1	2	3	4
<b>Employees of establishment in Divisional / District level Offices :-</b>			
<b>Category - I</b>			
4- Assistant Grade -III / Assistant Store keeper / Assistant Steward	18	40	(A) Higher Secondary School Certificate exam(Twelfth class by 10+2) system pass from Board of secondary education or from any other recognized institute. (B) Hindi Typing exam pass from M. P. Shorthand and Typing board or any other recognized board / institution. (C) Diploma in Computer from U.G.C. recognized university or Open university or Diploma level exam pass from D.O.E.A.C.C. or Modern Office Management examination passed by Govt. Polytechnic College.
<b>Category -II</b>			
5-Demonstrator (Science)	18	40	(A) M.Sc in Botany from a recognized university. (B) Doctorate degree in Taxonomy or Pharmacognosi from any recognized university. Preference to work experience on the post of Botanist / Pharmacognosist.
6- Research Librarian (Ayurved)	21	40	Post Graduate degree in Ayurved recognized by C.C.I.M.
<b>8- Compounder</b>			
(A) Ayurvedic Compounder	18	40	(A) 01 Year Ayurveda Compounder Training certificate or D. Pharma (Ayurveda) from recognized institute. (B) Registered in M.P. Paramedical Council.
(B) Homeopathic Compounder	18	40	(A) 01 Year Homeopathic Compounder Training Certificate. from recognized institute. (B) Registered in M.P. Paramedical Council.
(C) Unani Compounder	18	40	(A) Higher Secondary School Certificate exam (Twelfth class by 10+2) system with Urdu as on of the subject. (B) 01 Year Unani Compounder Training Certificate. from recognized institute and registered in M.P. Paramedical Council.

Name of the Post	Minimum Age	Maximum Age	Precribed Qualification (Mimimum)
1	2	3	4
<b>Category -III</b>			
8- Nursing Sister	18	40	(A) B.Sc Nursing/G.N.M. exam passed from recognized institute. (B) Registered in Nursing Council established by law. (C) 2 years working experience in a renowned hospital.
09- Staff Nurse	18	40	(A) B.Sc Nursing/G.N.M. exam passed from recognized institute. (B) Registered in Nursing Council established by law.
10- Analyst (Lab Technician Botany Pharmacognosy) Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	18	40	(A) M.Sc Botany from U.G.C. recognized university.
11- Analyst (Lab Technician Chemistry) Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	18	40	(A) M.Sc Chemistry from U.G.C. recognized university.
12- Lab Assistant (Drug Testing Lab) Ayush Drug Testing Laboratory Gwalior	18	40	(A) B. Sc with Chemistry & Botany from U.G.C. recognized university.

**Schedule -IV  
(See Rule -14)**

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post on which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
<b>Employees of establishment in Directorate</b>				
<b>Category -I</b>				
1	Assistant Superintendent / Assistant Grade-I	Superintendent	05 Years	01- Joint Director (Senior) <b>Chairman</b> 02- Deputy Director (Administrative) <b>Member</b> 03- Administrative Officer <b>Member</b>
2	Assistant Grade- II	Assistant Superintendent / Assistant Grade-I	05 Years	"do"
3	Assistant Grade-III	Assistant Grade - II / Computer Operator / Accountant	05 Years. For the post of Accountant- Accounts Training examination pass is essential/compulsory.	"do"
<b>Category -II</b>				
4	Auditor / Head Accountant / Assistant Grade-II	Chief Auditor	05 Years	"do"
5	Accountant / Assistant Grade-II	Head Accountant / Auditor	05 Years and Accounts Training examination pass.	"do"
<b>Category -III</b>				
6	Steno Typist	Stenographer	05 Years Experience.	"do"
7	Peon / Chokidar / Daftari	Assistant Grade-III	05 Years experience with Higher Secondary School (12th class of 10+2 system) exam pass from board of secondary education or any other recognized institution and Hindi typing certificate from a recognized institution and Computer qualification as per G.A.D. memo dated 12-06-09.	"do"

//9//

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
<b>Category -III</b>				
<b>Employees of establishment in Divisional / District label Offices :-</b>				
<b>Category -I</b>				
8	Assistant Grade-I / Head Clerk (Grade-I)	Superintendent	05 Years	01- Principal 02- Divisional Ayush Officer 03- District Ayush Officer (Senior) Member Chairman Member/Secretary Member
9	Assistant Grade-II/ Head Clerk (Grade-II)/ Accountant/Cashier	Head Clerk (Grade-I) / Assistant Grade-I	05 Years	"do"
10	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Head Clerk (Grade-II) / Accountant/Cashier	05 Years (for the post of Accountant/ Cashier Accountis Training examination pass is compulsory)	"do"
<b>Category -II</b>				
11	Assistant Store keeper / Assistant Steward/ Compounder (Ayurvedic/Homeopathy/Unani)	Store keeper/ Steward	05 Years	"do"
<b>Category -III</b>				
12	Compounder (Ayurved)	Assistant Ayurved Medical Officer	05 Years, with a medical qualification recognized by C.C.I.M. and registration in Ayurvedic Board established by law.	"do"
13	Compounder (Homeopathy)	Assistant Homeopathy Medical Officer	05 Years, with a medical qualification recognized by C.C.H. and registration in Homeopathic Council established by law.	"do"

S.N.	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post which Promotion is to be made	Minimum service/Experience in the post of coloum (2) For the promotion to the post in coloum (3)	Member of Departmental Promotion Committee
1	2	3	4	5
14	Class-IV (Peon, Dispensary Servant, Dispensary Dai Etc. from any Class IV Post.)	Assistant Grade-III/ Assistant Store keeper/ Assistant Steward/ Compounder (Ayurved / Homeopathy / Unani)	For the post of Assistant Grade-III/Assistant Store keeper/ Assistant Steward :- 05 Years experience with Higher Secondary School (12th class of 10+2 system) exam pass from board of secondary education or any other recognized institution and Hindi typing certificate from a recognized institution and Computer qualification as per G.A.D. memo dated 12-06-09 For the post of compounder:- 5 years experience with recognized compounder training certificate exam for the post of compounder Ayurved/Homeopathy or Mahila Ayurved Swasth Karyakarta training exam pass from a recognized institution and registration in M. P. Paramedical council. Compounder Unani the eligibility as specified in the direct recruitment of compounder Unani.	01- Principal (Senior) Chairman 02- Divisional Ayush Officer Secretary 03- District Ayush Officer Or Ayurved/Homeopathy/Unani Medical Officer Member
15	Nursing Sister	Matron (Junior grade)	03 Years Experience.	"do"
16	Staff Nurse	Nursing Sister	03 Years Experience.	"do"

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SHASHI KHATRI, Dy. Secy.